पंचम माला, खंड 56, अंक 18, सोमवार, 2 फरवरी, 1976/13 माघ, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVI, No. 18, Monday, February, 2, 1976/Magha 13, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[पंद्रहवां सत्र / Fifteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 56 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. LVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/CONTENTS

संख्या 18, सोमवार, 2 फरवरी, 1976/13 माघ, 1897 (शक)

No. 18, *Monday, February* 2, 1976/*Magha* 13, 1897 (*Saka*)

विषय	SUBJECT	PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference . .	1
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table . .	1-3
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . . .	3-4
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of a Member . . .	4
समाचार एजेंसियों के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Restructuring of News Agencies—	
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla . .	4-5
दिल्ली भू-धृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक—	Delhi Land Holdings (Ceiling) Amendment Bill—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider amendment by Rajya Sabha—	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde	6
सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव—	Motion to Agree—	
श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे	Shri Annasaheb P. Shinde. . .	6
प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक—	Regional Rural Banks Bill—	
राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider amendment by Rajya Sabha—	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	7
सहमति प्रदान करने का प्रस्ताव—	Motion to agree—	
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	8
नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक—	Urban Land (Celling and Regulation) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to Consider—	
श्री रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah . . .	8—10, 26-27
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder . . .	10—12
श्री एन०के०पी० साल्वे	Shri N.K.P. Salve	12—14
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha	14-15

विषय	SUBJECT	PAGES
श्री एच०एम० पटेल	Shri H.M. Patel	15-16
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagnnath Rao	16-17
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . . .	18
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh . .	18
श्री इराज्मु-द-सेक्वैरा	Shri Erasmo-de-Sequeira . .	18-19
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh . .	19
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	19-20
श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय	Shri Narsingh Narain Pandey .	20
श्री रामसहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	20-21
श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली	Shri Paripoornanand Painuli .	21
श्री हरिकिशोर सिंह	Shri Hari Kishore Singh . .	21-22
श्री विश्वनाथ नारायण शास्त्री	Shri Biswanarayan Shastri	22-23
डा० कैलास	Dr. Kailas . .	23
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe . . .	23
श्री एस० एम० सिद्दय्या	Shri S.M. Siddayya .	24
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra .	24
प्रो० नारायण चन्द पराशर	Prof. Narain Chand Parashar .	24-25
श्री राम चन्द्र विकल	Shri Ram Chandra Vikal .	25
श्री श्रीकिशन मोदी	Shri Shrikishan Modi	25
श्री टी० सोहन लाल	Shri T. Sohan Lal .	25
श्री दलीप सिंह	Shri Dalip Singh . . .	25-26
खण्ड 2 से 46 तथा 1	Clauses 2 to 46 and 1 . . .	28—58
संशोधित रूप पास किये जाने का प्रस्ताव—	Motion to pass, as amended—	
श्री के० रघुरामैया	Shri K. Raghu Ramaiah . . .	58, 59-60
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder .	59
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	59
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha.	59

लोक सभा

LOK SABHA

सोमवार, 2 फरवरी, 1976/13 माघ, 1897 (शक)

Monday, February 2, 1976/Magha 13, 1897 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को श्री चन्द्रमणि कालो के दुःखद निधन की सूचना देनी है जिनकी मृत्यु 60 वर्ष की आयु में 26 सितम्बर, 1975 को उड़ीसा के गांव कुलबीरा में हुई।

श्री चन्द्रमणि कालो सुन्दरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 1957–62 के दौरान दूसरी लोक-सभा के सदस्य रहे। वह एक कृषक तथा समाज सेवक थे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के उत्थान में उनकी गहरी रुचि थी।

हम अपने सहयोगी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना सन्देश भेजने में सदन मेरे साथ है।

तत्पश्चात् सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 34 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 22 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किये गये कतिपय आदेशों को सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—10298/76]

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 तथा भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन उत्पाद (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 77 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—10299/76]

(2) भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन उत्पाद (उत्पाद शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 126 की एक प्रति जो दिनांक 24 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 2 अगस्त, 1975 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 941 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—10300/76]

केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति, धनबाद का वार्षिक प्रतिवेदन, 1973-74

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं केन्द्रीय कोयला खान बचाव स्टेशन समिति, धनबाद के वर्ष 1973-74 कार्यकरण सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—10301/76]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 1974—75 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1974-75 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—10302/76]

मोटर यान (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975

नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मोटर यान (राष्ट्रीय परमिट) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 586 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा-पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०—10303/76]

तमिलनाडु के बारे में उद्घोषणा, उद्घोषणा के बारे में राष्ट्रपति का आदेश तथा तमिलनाडु के राज्यपाल का प्रतिवेदन

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976 की उदघोषणा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 55 (ङ) में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये दिनांक 31 जनवरी, 1976 के आदेश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 31 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 56 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) राष्ट्रपति को तमिलनाडु के राज्यपाल के दिनांक 29 जनवरी, 1976 के प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए / देखिए संख्या एल० टी०—10304/76]

श्री एच० एम० पटेल (ढंडुका) : मैं तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू करने का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। ऐसा करके न केवल संविधान का उल्लंघन किया गया है अपितु तमिलनाडु के लोगों को निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार से भी वंचित किया गया है। इस सरकार के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी।... (**व्यवधान**) यह साफ़ ज़ाहिर है कि संविधान के अनुच्छेद 356 में दिए गए अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। अपना विरोध प्रगट करने के लिए हमने सभा भवन से बाहर जाने का निश्चय किया है।

तत्पश्चात श्री एच० एम० पटेल तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये

Shri H.M. Patel and some other hon. Members then left the House

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर) : मैं साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की ओर से श्री पटेल द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमति प्रगट करता हूं। हमने भी विरोध प्रकट करने के लिये सभा भवन से बाहर जाने का निश्चय किया है।

तत्पश्चात श्री दीनेन भट्टाचार्य तथा अन्य कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Dinen Bhattacharya and some hon. Members then left the House.

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव : मुझे राज्य-सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सूचना देनी है :—

(i) राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम संख्या 115 के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा 29 जनवरी,

1976 की अपनी बैठक में बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) विधेयक; 1976 में लोक सभा द्वारा 27 जनवरी, 1976 को किए गए निम्नलिखित संशोधन से सहमत हुई :—

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"'छब्बीसवें' शब्द के स्थान पर 'सत्ताईसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

(ii) राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों की नियम संख्या 115 के अनुसरण में मुझे लोकसभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा 29 जनवरी, 1976 की अपनी बैठक में दिल्ली भाटक नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक, 1976 में लोक सभा द्वारा 27 जनवरी, 1976 को किए गए निम्नलिखित संशोधन से सहमत हुई :—

अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

"'छब्बीसवें' वर्ष के स्थान पर 'सत्ताईसवें' शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

(iii) राज्य सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम संख्या 186, उपनियम (6), के अनुसरण में मुझे नागालैण्ड विनियोग विधेयक को वापिस करने का निदेश हुआ है, जो लोक सभा द्वारा अपनी 27 जनवरी, 1976 की बैठक में पास किया गया था तथा राज्य सभा को सिफारिश करने हेतु भेजा था और यह कहना है कि राज्य सभा को उक्त विधेयक के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस आयुक्त, मद्रास से प्राप्त दिनांक 1 फरवरी, 1976 के तारों की सूचना देनी है जिनमें बताया गया कि आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम, 1971 की धारा 31क 2 क साथ पठित उपधारा 3/2ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री तिरु सी चित्ति बाबू, संसद् सदस्य को नजरबन्द करना जरूरी समझा गया। सदस्य को जिन्हें पहले 10 बजे निवारक अभिरक्षा में लिया गया था 1–2–1976 की संध्या को केन्द्रीय कारागार में रखा गया।

समाचार एजेन्सियों के पुनर्गठन के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE. RESTRUCTURING OF NEWS AGENCIES

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : माननीय सदस्यों को विदित है कि पिछले कुछ समय से ही समाचार अभिकरणों की भूमिका और उनके ढांचे के बारे में विचार होता रहा है। मैं अब उनको वर्तमान स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं।

देश में यह विचार जोर पकड़ता जा रहा है कि समाचारपत्र और विश्व के माध्यमों को भारत की घटनाओं के बारे में पर्याप्त और उद्देश्यपूर्ण समाचार प्रदान करने के लिए एक सशक्त एकल समाचार अभिकरण की आवश्यकता है। अनेक अभिकरण होने के कारण प्रयासों की द्विरावृत्ति हुई है और संसाधन जाया हुए हैं। देश के बहुत से क्षेत्र समाचार रिपोर्टिंग पद्धति के अन्तर्गत आ नहीं पाये हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों सम्बन्धी समाचार का संकलन और वितरण तो बहुत ही कम रहा है। जनता के पूर्ण सहयोग से देश के सभी क्षेत्रों में जो तीव्र परिवर्तन आ रहे हैं, उन पर यथेष्ट रूप से प्रकाश नहीं डाला जाता। विश्व के माध्यमों को देश का सही चित्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। फलस्वरूप विश्व के समाचारपत्रों में अक्सर हमारी अनुचित और गलत आलोचना होती रही है।

पत्रकारों और प्रेस कर्मचारियों के सभी जिम्मेदार वर्ग इन विचारों से सहमत हैं। मुख्य समाचार अभिकरणों के व्यवस्थापकों ने स्वयं इन विचारों पर गहराई से सोचा है। इस बात पर सभी एकमत हैं कि राष्ट्रीय जीवन के अनेक पहलुओं और घटनाओं की जानकारी कराने के लिए ऐसे एक एकल समाचार अभिकरण की आवश्यकता है जिसे एक सशक्त माध्यम के रूप में विकसित किया जा सके। इन राष्ट्रीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए टेलिप्रिंटर वाले चारों अभिकरणों—पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के प्रबन्ध बोर्डों ने दिसम्बर और जनवरी में देश में एक एकल समाचार अभिकरण के विचार का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास किये हैं। इसी प्रकार इन चारों अभिकरणों की कर्मचारी यूनियनों ने भी, जो पत्रकारिता व्यवसाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, इस प्रकार के अभिकरण के समर्थन में प्रस्ताव पास किये हैं। इस बात पर बल दिया गया है कि इस प्रकार का अभिकरण स्वैच्छिक रूप से बनाया जाय और वह स्वतन्त्रतापूर्वक काम करे।

24 जनवरी को, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत 'समाचार' नाम से एक समिति पंजीकृत की गई। यह समिति 7 व्यक्तियों, जो भारतीय प्रेस के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, के आवेदन-पत्र पर पंजीकृत की गई। इस समिति का उद्देश्य एक ऐसा समाचार संगठन विकसित करना है जो राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं पर समाचार संकलन करके उन्हें देश के और विश्व के माध्यमों को पर्याप्त रूप से वितरित करे। चारों समाचार अभिकरणों के प्रबन्ध बोर्डों ने 'समाचार' के साथ एक शर्तनामा किया है जिसके अन्तर्गत वे फिलहाल कोई अन्य समझौता होने तक सभी कार्य समाचार की ओर से ही करेंगे। इस प्रकार का समझौता उनकी आपसी बातचीत से होगा जो अभी जारी है। पहली फरवरी से इन अभिकरणों द्वारा सभी समाचारों का संकलन और वितरण 'समाचार' के नाम से किया जा रहा है।

ऐसी आशा है कि इस प्रगति के परिणामस्वरूप देश में एक सशक्त और सुव्यवस्थित समाचार अभिकरण की स्थापना हो सकेगी। सरकार को इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इन प्रयासों से एक ऐसा राष्ट्रीय समाचार अभिकरण बनेगा जो हमारे देश में हो रहे क्रियाकलापों के आकार, जटिलता और सम्पन्नता के अनुरूप एक समुचित माध्यम का काम करेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : क्या समाचार एजेन्सी को पी० टी० आई तथा यू० एन० आई० के पुराने सदस्यों को सौंप दिया जाएगा अथवा नए सदस्य बनाए जाएंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने इस बात को अपने वक्तव्य में स्पष्ट कर दिया था। फ़िलहाल समाचार एजेन्सियों ने पूरा सहयोग दिया है तथा समझौते किए हैं और वे जिस कार्य को 1 फ़रवरी, 1976 से पूर्व स्वयं कर रहे थे अब उस काम को 'समाचार' एजेन्सी के नाम से करेंगे और यह कार्य समाचार एजेन्सी करेगी। जहां तक नए सदस्यों का प्रश्न है, यह एक अन्तरिम समिति है और कुछ समय बाद इसका पुनर्गठन होगा और यह कार्य समेकन होने के बाद होगा।

दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन विधेयक

DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) AMENDMENT BILL

कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं प्रताव करता हूं :—

"कि दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) संशोधन अधिनियम, 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए :—

"अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

'Twenty Sixth (छब्बीसवें) के स्थान पर Twenty-Seventh (सताईसवें)' प्रतिस्थापित किया जाए।'

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली भूधृति (अधिकतम सीमा) अधिनियम, 1960 का और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाए :—

अधिनियमन सूत्र

Twenty sixth (छब्बीसवें) के स्थान पर Twenty Seventh (सताइसवें) प्रतिस्थापित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

अधिनियम सूत्र

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति—

Twenty Sixth (छब्बीसवें) के स्थान पर Twenty Seventh (सताईसवें) प्रतिस्थापित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन को सहमति प्रदान की जाए"।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन को सहमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

प्रादेशिक ग्रामीण बैंक विधेयक

REGIONAL RURAL BANKS BILL

राजस्व तथा बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के प्रयोजनार्थ उधार तथा अन्य प्रसुविधाएं, विशिष्टतया छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को, प्रदान करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

"अधिनियमन सूत्र

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में Twenty sixth year (छब्बीसवें वर्ष) शब्दों के स्थान पर Twenty seventh year (सत्ताईसवें वर्ष) शब्द प्रतिस्थापित किये जायें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, व्यापार, वाणिज्य उद्योग तथा अन्य उत्पादन कार्यों के विकास के प्रयोजनार्थ उधार तथा अन्य प्रसुविधाएं, विशिष्टतया छोटे और सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमियों को, प्रदान करके ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का विकास करने की दृष्टि से प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों के निगमन, विनियमन और समापन का तथा उनसे सम्बन्धित और उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

"अधिनियमन सूत्र

पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में Twenty sixth year (छब्बीसवें वर्ष), शब्दों के स्थान पर Twenty seventh year (सत्ताईसवें वर्ष) शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

अधिनियमन सूत्र

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में Twenty sixth year (छब्बीसवें वर्ष) के स्थान पर Twenty Seventh year (सत्ताईसवें वर्ष) प्रतिस्थापित किये जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन को सहमति प्रदान की जाए" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधन को सहमति प्रदान की जाए" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) विधेयक

URBAN LAND (CEILING AND REGULATION) BILL

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में नगर सम्पत्ति संकेन्द्रण को तथा उसमें सट्टेबाजी और मुनाफ़ाखोरी को रोकने के उद्देश्य से और सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन के लिये नगर बस्ती की भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के उद्देश्य से नगर बस्ती में रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा अधिरोपित करने का, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के अर्जन का, ऐसी भूमि पर भवनों के सन्निर्माण को विनियमित करने का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह एक ऐसा विषय है जिस पर प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम में जोर दिया हैं । उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि लोगों ने राष्ट्र को नुक्सान पहुंचाकर नगरीय भूमि से काफ़ी लाभ कमाया हैं । नगरीय सम्पत्ति के संकेन्द्रण से काफ़ी असमानताए उत्पन्न हुई हैं । नगर बस्ती में रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के अर्जन करने आदि के लिए कानून बनाया जा रहा है ।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने वर्ष 1973 में एक प्रस्ताव पास किया था जिसमें कहा गया था कि नगरीकरण नीति की अत्यन्त आवश्यकता है । सभी नगरीय भूमि का समाजीकरण किया जाना चाहिए । इससे गैर कानूनी लाभ समाप्त हो जाएंगे ।

देश के नगरीय क्षेत्रों में काफी परिवर्तन हुआ है । काफी संख्या में लोग गांवों से शहरों की ओर आ रहे हैं जिससे शहरों में भीड़ भाड़ हो गई है और दूसरे, भूमि की खरीद में सट्टेबाजी चल रही है ।

यह बात सच है कि इन वर्षों में कुछ निजी मकान बने हैं । लेकिन हमारा अनुभव यह रहा है कि इन भवनों के निर्माण से मध्यम वर्ग के लोगो और धनी लोगों को ही लाभ होता है । सरकारी क्षेत्र में बने भवनों के अलावा गैर सरकारी क्षेत्रों में बने अधिकांश भवनों से समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को कोई सहायता नहीं मिली है । अत: अखिल भारतीय कांग्रेस संगठन देश में भूसम्पत्ति पर सीमा निर्धारित करने की मांग करता रहा है ।

इसके पीछे मूल भावना यह है कि भूमि के मूल्यांकन के आधार पर उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये और भूमि को ही नहीं बल्कि भवनों के सन्निर्माण को भी विनिर्धारित किया जाये। लेकिन इस पर पुनः विचार करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यह न तो व्यवहार्य है और न वांछनीय है । भूमि का मूल्य हर स्थान पर एक सा नहीं रहता है । मूल्य समय समय पर भी बदलता रहता है और यदि हमने भूमि की सीमा उसके मूल्य के आधार पर निर्धारित की तो मुनाफाखोर सीमा के अन्दर भूमि खरीद लेगा और फिर भूमि का समुचित वितरण नहीं हो सकेगा। अतः इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने के बाद भूमि का मूल्यांकन कर उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करने का विचार त्यागना पड़ा है ।

यह प्रश्न भी उठाया गया है कि क्या हमें रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी चाहिये या इसे भवनों पर भी लागू किया जाये। लेकिन विनिर्मित भवनों की अधिकतम सीमा निर्धारित करना हमें कठिन कार्य लगा है । अतः हमने यही बेहतर समझा कि केवल रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये । लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम पहले से रिक्त पड़ी भूमि के बारे में नही कह रहे हैं। यह विधेयक नगरीय सम्पत्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया का श्रीगणेश मात्र है ।

हम अनेक एकमुश्त उपायों के बारे में सोच रहे हैं जिनके द्वारा हम विनिर्मित सम्पत्ति पर भी नजर रखेंगे। ये उपाय इस प्रकार है रिक्त भूमि पर नगर भूमि कर लगाना, उस भूमि और उन भवनों पर नगर भूमि कर लगाना, जो निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है, निर्धारित सीमा से अधिक विनिर्मित क्षेत्र पर कर लगाना, शहरी संचित भूमि के भीतर कृषि भूमि का बिना आज्ञा स्थानान्तरण करने पर प्रतिबंध लगाना तथा मास्टर प्लान, क्षेत्रीय विनियमन नगरपालिका के उपनियमों जो शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण प्रक्रिया के अनुकूल जाते हैं द्वारा लगाये गए कुछ प्रतिबंधों को समाप्त करना आदि आदि ।

विधेयक संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत लाया गया है । यह राज्यों द्वारा पास किए गए संकल्पों से सरकार को प्राप्त अधिकार से लाया गया है । शहरी अचल सम्पत्ति के बारे में ही संसद को अधिकार दिया गया हैं । केन्द्र को विनिर्मित सम्पत्ति पर कर लगाने का कहीं पर कोई अधिकार नहीं है । इसलिये संसद द्वारा इस विधान को पास किये जाने के साथ ही हम राज्यों को कराधान सम्बन्धी मुद्दों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त बतायेंगे।

सीमा से अधिक भवनों पर कर लगाने का उद्देश्य यह है कि राज्य सरकारें मार्गदर्शी सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुये ऐसी अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय करे । इसलिये यह विधेयक केवल रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए ही लाया गया है ।

विधेयक में मुआवजे की व्यवस्था भी की गयी है। भुगतान करने योग्य मुआवजे का उल्लेख किया गया है जैसा कि रिक्त भूमि के मामले में है, जिसका किराये के उद्देश्य से निर्धारण किया जा सकता है या जिसका किराया उसके वार्षिक किराये का $8\frac{1}{3}$ गुणा निर्धारित किया जा सकता है, और इसके लिए पिछले 5 वर्ष के किराये को ध्यान में रखा जयेगा। सरकार द्वारा अर्जन किए जाने सम्बन्धी अधिसूचना जारी होने के बाद ही यह राशि भुगतान योग्य समझी जायेगी।

कुछ श्रेणियों जैसे राज्य सरकार की सम्पत्ति, केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति, धर्मार्थ धर्मदाय, बैंक, पंजीकरन अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों की सम्पत्ति आदि के मामलों में छूट दी गयी है ।

एक माननीय सदस्य : धार्मिक धर्मदायों के लिये भी ?

श्री के० रघुरामैया : हां, धार्मिक धर्मदाय भी इसके अन्तर्गत आते हैं ।

हमने यह उपबंध भी किया है कि यदि कोई व्यक्ति यह घोषणा करता है कि वह अपनी रिक्त भूमि पर भवन का निर्माण कर उसे समाज के पिछड़े वर्गों के लिए सरकार को देगा तो राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त है कि वह उस सम्पत्ति की सीमा निर्धारित नहीं करेगी, बशर्ते कि वह व्यक्ति राज्य सरकार की इच्छानुसार मकान बनाये ताकि उसका निर्माण समाज के पिछड़े वर्गों के हित में हो ।

इसके अतिरिक्त क्लबों, साहित्यिक और वैज्ञानिक मूल्य के संगठन या स्कूल अथवा कालेज तथा अन्य शैक्षणिक संस्थानों के सम्बन्ध में यदि राज्य सरकारें इस बात से संतुष्ट हो जायें कि ये वास्तव में ऐसे ही संस्थान हैं तो वह उन्हें अपनी इच्छानुसार छूट दे सकती है ।

एक माननीय सदस्य : सरकारी बंगलों की क्या स्थिति है ?

श्री के० रघुरामैया : इन्हें छूट दी गयी है ।

सहरी सम्पत्ति के विक्रय पर कुछ समय पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

डा० रानेन सेन (बारासात) : क्या अनुसूचि को राज्य सरकारों की सहायता से तैयार किया गया है अथवा केन्द्रीय सरकार ने ही इसे तैयार किया है ?

श्री के० रघुरया : 1971 की जनगणना रिपोर्टों के आधार पर ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में नगर सम्पत्ति के संकेन्द्रण को तथा उसमें सट्टेबाजी और मुनाफ़ाखोरी को रोकने के उद्देश्य से और सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन के लिए नगर बस्ती की भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के उद्देश्य से नगर बस्ती में रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा अधिरोपित करने का अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के अर्जन का, ऐसी भूमि पर भवनों के सन्निर्माण को विनियमित करने का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदार (औसग्राम) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि विधेयक को उस पर 15 मई, 1976 तक राय जानने हेतु परिचालित किया जाये ।"

श्री दिनेश जोरदार (माल्दा) : यह विधेयक देश की जनता के साथ धोखा है । सत्ता-रूढ़ दल ने कहा था कि वह शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा निश्चित करेगा लेकिन इस विधेयक द्वारा केवल शहरी जमीन की ही अधिकतम सीमा निश्चित की जा रही है । शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विचार सरकार ने न जाने क्यों छोड़ा । 20 सूत्री कार्यक्रम के नाम पर देशवासियों के विचार प्रकट करने की आजादी छीन ली गयी है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि सुधार का उद्देश्य ग्रामिणों के बीच जमीन का समुचित वितरण तथा जागीरदारी समाप्त करना था । भूमि सुधार कानूनों के लागू करने के फ़लस्वरूप जागीरदारों को जो राशि मुआवजे के रूप में मिली उससे उन्होंने शहरी क्षेत्रों में जमीनें खरीदी तथा इमारतें बनाईं । अतः ग्रामीण कृषि भूमि की सीमाबंदी का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका ।

अमीर लोग अपना काला धन शहरी सम्पति पर लगा रहे हैं। शहरी जमीन के क्रय-विक्रय में बहुत मुनाफाखोरी हुई है। शहरी क्षेत्रों की जमीन तथा इमारतें चन्द लोगों के हाथों में जा रही हैं जो अपना काला धन इस काम में लगा रहे हैं। इसलिए हमने शहरी भूमि और मकानों की खरीद के संबंध में हो रहे गोलमाल को समाप्त करने के लिए और शहरी भूमि और मकानों पर अधिकतम सीमा लगाने की मांग की थी परन्तु उस मांग के बहुत कम भाग को पूरा किया गया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इससे केवल 10,000 लोग प्रभावित होंगें जोकि सम्पूर्ण शहरी जनसंख्या का बहुत कम भाग हैं ।

सरकार ने बड़े अधिकारियों का एक अध्ययन दल इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया था। परन्तु उस अध्यन के क्या परिणाम रहे हमें नहीं पता । उसकी रिपोर्टों और सिफ़ारिशों का क्या हुआ यह सदन को नहीं बताया गया ।

मंत्री महोदय ने संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में से कुछ परिभाषा चुन ली है और विधेयक कारणों और उद्देश्यों के कथन में उसे रखा है लेकिन नीति निर्देशक सिद्धान्तों की भावना उसमें नहीं आ पाई है।

सत्ताधारी दल और सरकार में भी कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शहरी सम्पति पर अधिकतम सीमा बिल्कुल न लगाई जाए। इस दबाव के कारण सरकार ने इसका विचार छोड़ दिया और आधेमन से यह विधेयक लाया गया है जिसमें कुछ ऐसे उपबन्ध और रियायतें है जिस से अधिकतम सीमा विरोधी पक्ष को लाभ होता है ।

विधेयक में दी गई परिभाषा के अनुसार शहरी भूमि से तात्पर्य उस भूमि से हो जो शहरी क्षेत्र में है और मास्टर प्लान में उल्लिखित है। उसमें वह भूमि नहीं आती जिसपर खेती होती है। इस शब्दावली से अनेक कठिनाइयां उठ खड़ी होगी फ़िर शहरी क्षेत्र में उस भूमि को खाली भूमि माना गया जो मुख्यत: खेती के काम नहीं आती परन्तु उसमें वह भूमि शामिल नहीं है जिस पर मकान बनाने की अनुमति नही है। उस भूमि का क्या होगा जिस पर गंदी बस्ती वाले रह रहे है। इस संबंध में विधेयक में स्पष्ट उल्लेख नहीं है । विधेयक में कहा गया है कि रिक्त भूमि की अधिकतम सीमा 500 वर्ग मीटर होगी अब प्रश्न यह उठता है कि जिन लोगों के मकान 500 वर्ग मीटर में बने हुए तथा साथ ही उनके पास 500 वर्ग मीटर भूमि खाली पड़ी है तो इस प्रकार उनके पास 1000 वर्ग मीटर भूमि हो जाएगी अर्थात अधिकतम सीमा 500 वर्ग मीटर न होकर 1000 वर्ग मीटर हो जाएगी । विधेयक में कई उपबंध है जिनके अंतर्गत छूट की मांग की जा सकती है । इस प्रकार सरकार और संबंधित अधिकारियों को इन उपबंधों के अंतर्गत बहुत कुछ गोलमाल करने और पक्षपात करने का अवसर है। मुआवजे की दर भी बहुत ऊंची है। ऐसी खाली भूमि से क्या आय होगी जिसमें प्लाट एक दूसरे से जुड़े हों। दोनों प्लाटों से भिन्न-भिन्न आय होगी। इसलिए हमने मांग की थी कि उन बड़े लोगों से जिन्होंने खाली भूमि में गोलमाल करके लाखो, करोड़ों रुपये कमाये है, सारी भूमि ले ली जाए और जब्त कर ली जाए। उनकी भूमि का अधिग्रहण बिना मुआवजे के किया जाए ।

मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के तथा कुछ अन्य राज्यों के नगर अनुसूची 1 के अंतर्गत लाए जाए। वास्तव में वह नगर जिनकी जनसंख्या 2 लाख से अधिक है इस अनुसूची के अंतर्गत आने चाहिए। सिलीगुड़ी और जलपायगुड़ी भी बड़े नगरों के स्तर तक पहुंच रहें हैं अतः उन्हें भी इस अनुसूची के अंतर्गत लाया जाए।

यह विधेयक केवल खाली भूमि पर लागू होता है। बड़े बड़े शहरों में लान वाले अनेक बंगले है। इन पर यह विधेयक लागू नहीं होता। इस प्रकार खाली भूमि के उपबंध से बचने के लिए एक कमी छोड़ दी गई है। मंत्री महोदय इस विषय पर फ़िर से विचार कर एक व्यापक विधेयक लाए और सभी शहरी सम्पति पर अधिकतम सीमा लगाए।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : सरकार ने राज्य विधान सभाओं की सिफ़ारिशें हमें नही दी है और हमें मालूम नहीं कि उनमें क्या है अभी मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ कहा था। मेरे विचार में विधेयक संविधान के अनुच्छेद 252 का उल्लंघन करता है। राज्य विधान सभाओं की सिफारिशें स्थायी शहरी सम्पति के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ग्रंथालय में इन्हें देख सकते हैं।

श्री के० रघुरामैया : स्थायी शहरी सम्पति में भवन ही नही अपितु भूमि भी आती है। अतः इसमें कोई विवाद नहीं। हम प्रस्ताव को उसी सीमा तक ला रहे हैं जहां तक भूमि का संबंध है। यह सच है कि विधेयक में सम्पूर्ण शहरी भूमि नहीं आती।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में माननीय सदस्य का प्रश्न व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने बता दिया है कि राज्य विधान सभाओं ने संकल्प पारित किए हैं और वह ग्रन्थालाय में रखे गए हैं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल): अध्यक्ष महोदय सबसे पहले में आपका ध्यान ऐसे मामलों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो पहली बार हुआ है और मैं चाहता हूं कि यह अंतिम बार ही हो। आज जब मैंने विधेयक की एक प्रति मांगी तो मुझे कहा गया कि पहले आप लोक सभा सचिवालय के एक विरिष्ठ अधिकारी से पर्ची लाइए। यह बहुत अनुचित बात है। हमें विधेयकों की प्रतियां प्राप्त करने का अधिकार है। हम जब भी मांगे हमें विधेयक की प्रति मिलनी चाहिए। हमें नौकरशाही की दया पर नहीं छोड़ा जाए।

यह विधेयक सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पग है। इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। निःसन्देह इससे निर्माण कार्यों में किया जाने वाला अत्यधिक गोलमाल और भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और बड़े शहरों विशेषकर बम्बई, दिल्ली, कल्कत्ता, मद्रास और अन्य शहरों जैसे बंगलौर, अहमदाबाद, हैदराबाद के भूमि के सट्टेबाज सर्वथा बेकार हो जाएंगे। सरकार द्वारा खाली भूमि के आवंटन के उपबन्धों में अभी सुधार की आवश्यकता है। विधेयक के उद्देश्य स्पष्ट है। उद्देश्य 2 और 4 शहरी भूमि के समाजीकरण के लिए बहुत आवश्यक है लेकिन शहरी भूमि पर लगी इस अधिकतम सीमा का कोई अर्थ नही होगा, यदि गरीबों में इसका समान वितरण नहीं किया जाता। राज्य

कर्मचारियों को भूमि आवंटित करने के तरीके के रूप में इसे अपनाने का कोई लाभ नहीं होगा। यह जिस उद्देश्य से विधेयक लाया गया है वह सर्वथा समाप्त हो जाएगा।

इस विधेयक में अधिकतम सीमा के अन्तर्गत आने वाली भूमि के मूल्य का कोई जिक्र नहीं किया गया है। बम्बई के नारीमन प्वांईट पर जिसे भूमि रखने की अनुमति दी गई है उसका मूल्य 50 लाख रुपए होगा जबकि नागपुर अथवा किसी अन्य कस्बे में वह 20,000 या 25,000 रुपए से अधिक की भूमि नही रख सकता। यह बहुत अनुचित और असमान है। इसलिए भूमि के मूल्य का उल्लेख किए बिना सभी राज्यों में अधिकतम सीमा लगाना बहुत अनुचित है। यह सिद्धान्त उचित और सही नहीं है। मंत्री महोदय, इस पहलू पर विचार करें।

बम्बई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बंगलौर इत्यादि स्थानों में जहां कई लोगों ने करोड़ों रुपये लगाकर विशाल भवन बनाए हैं उनकी सम्पत्ति पर भी अधिकतम सीमा उसी प्रकार लगाई जाए जैसे कि एक मध्य वर्गीय व्यक्ति या छोटे व्यापारी की सम्पत्ति पर लगाई जाती है।

यदि राज्य सरकारों द्वारा पास किये गये प्रस्तावों को ईमानदारी से क्रियान्वित करना चाहती है तो उन व्यक्तियों के लिये जिनके पास अचल सम्पत्ति नहीं है अधिकतम सीमा निर्धारण करने में उदारता बरतनी चाहिये और जिनके पास पहले से ही रहने के लिये मकान है वहां यह सीमा कठोरता से निर्धारित करनी चाहिये तभी अधिकतम सीमा का न्यायसंगत और उचित कार्यकरण हो सकता है।

विधेयक के उपबन्धों का भूतलक्षी प्रभाव सम्बन्धी उपबन्ध बहुत ही अपर्याप्त है। पिछले तीन या चार वर्षों से लगातार लोग अपनी भूमि का वितरण, उपहार या बेचकर कर रहे हैं। सम्भवतः उपबन्धों के भूतलक्षी प्रभाव की ओर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान भूमि के सभी प्रकार के स्थानान्तरण की सक्षम प्राधिकार द्वारा जांच करने सम्बन्धी उपबन्ध इस विधेयक में किया जाना चाहिये। भूमि के बेनामी उपहार या बिक्री सम्बन्धी सभी प्रकार की गतिविधियां रद्द और अवैध घोषित कर दी जानी चाहिये। अन्यथा जो लोग कानूनी सलाह ले सकते हैं उन्हें तो फायदा होगा और दूसरों को नुकसान होगा। एक व्यक्ति जिस के पास स्थायी सम्पत्ति नहीं है पर जिसने अपनी समूची बचत का विनियोजन कर दिया उसे भी उन लोगों के समान, जिनके पास काफी अचल सम्पत्ति है, मुआवजा मिलना चाहिये। आवास उद्देश्य के लिये जिनके पास केवल एक ही प्लाट है उनके साथ भी आप उदारता बरतें। रिक्त भूमि समाज के दलित दर्जों को प्रदान की जाये।

हमें उभरते हुये विभिन्न उद्योगों की स्थिति पर भी विचार करना है। ऐसा विशेष उपबन्ध किया जाना चाहिये कि उद्योग के लिये अर्जित की गई भूमि को रिक्त भूमि न माना जाये। ऐसा न होने से अनेक कठिनाइयां पैदा होने की सम्भावना है।

हमें इस बात का सन्तोष है कि निर्माण कार्य बड़े-बड़े सट्टेबाजों और मुनाफाखोरों के हाथ से लेकर अपने अधिकार में लिया गया है। यह इस विधेयक की महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या इस विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध है कि जिससे हम एक साथ ऐसी व्यवस्था कर सकें ताकि राज्य सरकार के अभिकरण या अर्धराज्य अभिकरण निर्माण कार्य तुरन्त अपने हाथों में ले सके ? यदि

इस विधेयक के कारण दो या तीन वर्ष तक निर्माण कार्य बन्द रहा तो इससे अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ जाएगी ।

रचनात्मक गतिविधियां बन्द करने पर मुद्रास्फीति फिर से सर उठाने लगेगी । राज्य सरकारों को भूमि वितरण का अधिकार दिया गया है पर उस भूमि पर मकान किस प्रकार बनेंगे यह सुनिश्चित करने के लिये क्या किया गया है । उत्तर देते समय मंत्री महोदय इस पर प्रकाश डालें । अन्त में मै मंत्री महोदय को यह विधेयक लाने पर धन्यवाद देता हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं विधेयक के इतिहास में नहीं जाता । विधेयक का लाया जाना औचित्यपूर्ण है क्योंकि लम्बे समय से सत्ताधारी दल द्वारा शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगाये जाने के वादे कि ये जाते रहे हैं, संकल्प पारित किये जाते रहे हैं और घोषणाएं की जाती रही हैं । परन्तु इन सबके बावजूद जो विधेयक लाया गया है, जहां तक उसके लक्ष्य की बात है, बहुत ही स्वागत योग्य है परन्तु तथ्यों के आधार पर देखने पर यह बड़ा ही निराशाजनक है । विधेयक पेश करते समय मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ अन्य बातें जैसे कर आदि को भी ध्यान में रखा गया है । और ये कर केन्द्र के क्षेत्राधिकार में नहीं हैं । विधेयक में यह व्यवस्था की जानी चाहिये कि गत 10 वर्षों में जो सौदे हुये हैं अथवा सम्पत्ति का हस्तांतरण हुआ है उसे अवैध माना जाए । श्री साल्वे ने भी इसकी मांग की है ।

यों विधेयक का नाम शहरी भूमि की अधिकतम सीमा विधेयक रखा गया है परन्तु यह मात्र खाली पड़ी भूमि के बारे में है । और फिर सभी खाली भूमि को भी इसके अन्तर्गत नहीं लाया गया है । इसके सबके ऊपर प्रश्न यह भी है कि इसे कैसे लागू किया जाये ।

मंत्री महोदय अनुच्छेद 249 और 250 के बजाय अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत यह विधेयक लाये हैं । इस कारण यह केवल उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने तत्सम्बन्धी संकल्प पारित किये हैं । अन्य राज्यों में यह विधान इस सम्बन्ध में विधान सभाओं में प्रस्ताव पारित किये जाने पर लागू होगा । इसका अर्थ हुआ कि उन राज्यों के बेईमान लोगों को अपनी-अपनी भूमि जल्दी ही बेचने का अवसर दिया गया है । इसी कारण मैं इसे आधेमन से लाया गया विधान कहता हूं ।

इस विधेयक में एक परिवार में पति-पत्नी और उनके अविवाहित अव्यस्क बच्चों को माना गया है । इसका अर्थ हुआ कि अव्यस्क विवाहित बच्चे का एक अलग परिवार बन जाता है । इससे बाल-विवाह को प्रोत्साहन मिलेगा । अविवाहित शब्द को हटा कर इस त्रुटि को दूर किया जा सकता था ।

विधेयक में खण्ड 4 के अन्तर्गत भूमि की अधिकतम सीमा 500, 1000, 1500 और 2000 वर्ग मीटर रखी गई है, परन्तु कई मामलों में 500 वर्ग मीटर के साथ-साथ 500 वर्ग मीटर और भूमि रखने की अनुमति है । इस प्रकार की परिभाषाओं से विधेयक का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो रहा है ।

एक लाख से अधिक की आबादी वाले नगरों में अधिकतम सीमा लागू करने के लिये राज्य सरकारों को केन्द्र की पूर्व अनुमति लेना आवश्यक किया गया है, ऐसा क्यों ? फिर विधेयक में उल्लिखित अधिकतम सीमा को घटाकर आधा किया जाये । यह बात भी समझ में नहीं आती कि कुछ नगरों को क्यो छोड़ दिया गया है । यह विधान तो देश भर के लिये है और समान रूप से इसे लागू किया जाये ।

यह कहा गया है कि जिस भूमि पर मकान बना है सरकार उसे अधिग्रहित नहीं करेगी। ऐसा क्यों ? क्या सरकार जमींदारी और पगड़ी आदि को बढ़ावा देना चाहती है ? अतः जिस भूमि पर मकान बने है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाये ।

जहां तक वैध रूप से बेची गयी खाली भूमि का प्रश्न है उसे शामिल नहीं किया जाएगा। इस निर्णय को कोई अधिकारी करेगा। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, और घूस आदि देकर सभी सौदों को वैध करार दे दिया जाएगा। वैध बिक्री को शामिल न किये जाने की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार राज्यों द्वारा हाल ही में किये गये किसी सौदे को वैध माना जाएगा। ऐसा क्यों जब कि देश भर के लिये समान विधान बनाया गया है। उन्हें जो मुआवजा दिया जाये वह इतना अधिक नहीं होना चाहिये उसे कम किया जाये। ठीक कीमत का अनुमान लगाने के लिये जांच की जाएगी। इसमें भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश है। इस तरह की कमियां विधेयक में क्यों छोड़ी गई हैं ? दोबारा अपील उच्च न्यायालय में किये जाने की व्यवस्था करने की क्या आवश्यकता थी ?

शिक्षा संस्थानों, सांस्कृतिक संस्थाओं और क्लबों का मामला भी आता। किसी के द्वारा भी इनकी स्थापना किये जाने पर इनके अधिकार में आने वाली भूमि को शामिल नहीं किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य समझ में नहीं आया। इसके खण्ड विधेयक के उपबन्धों के प्रभाव को कम करने वाले हैं ।

गैर-सरकारी बैंकों को विधेयक के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों रखा गया है ? अब भी सरकार को इस पर विचार करना चाहिये ।

श्री साल्वे ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को छूट देने का प्राधिकार दिया जाये। इससे एक ओर तो विधेयक के उद्देश्य पर असर पहुंचेगा तथा दूसरी ओर भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद को बढ़ावा मिलेगा ।

अनुसूची में कुछ शहरों और कस्बों को छोड़ दिया गया है। यह अनुचित है। मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये ।

पटना शहर को तो अनुसूची में शामिल किया गया है परन्तु दानापुर को नहीं किया गया हैं ? इसके क्या कारण हैं ? आशा थी कि इस विधेयक के माध्यम से शहरी सम्पत्ति पर रोक लगाई जाएगी परन्तु छूटों को देखकर बड़ी निराशा हुई है।

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : मैं विधेयक के उद्देश्यों तथा विधेयक पेश करने के पीछे सरकार की भावना का समर्थन करता हूं। लेकिन यदि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाय तो इसमें सुधार हो सकता है ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सरकार की ओर से अब भी संशोधन पेश किये जा रहे हैं हमें विधयक का तथा संशोधनों के अध्ययन का अवसर दिया जाये ।

श्री के० रघुरामैया : अधिकांश संशोधन स्पष्टीकरण करने वाले हैं। इससे मूल विधेयक पर कोई असर नहीं पड़ता ।

श्री इराज्मु द सेकैरा : इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिये ।

श्री भोगेन्द्र झा : हमें संशोधनों को पढ़ने तथा अपनी राय व्यक्त करने का अवसर दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : हम द्वितीय वाचन के समय खण्डवार चर्चा करेंगे ।

श्री एच० एम० पटेल : मेरा सुझाव है कि विधेयक प्रवर समिति को भेजा जाये । मंत्री महोदय इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करें । श्री साल्वे तथा श्री भोगेन्द्र झा के सुझावों पर भी विचार किया जाना चाहिये । प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन सही समय पेश करने के लिये कहा जा सकता है । वहां पर इस विधेयक पर विस्तार हो सकेगा ।

कहा गया है कि अधिकांश संशोधन मौखिक हैं अथवा स्पष्टीकरण करने वाले हैं । यह सत्य नहीं है । कई संशोधन काफी सारपूर्ण हैं । इस विधेयक में कई त्रुटियों का पता लगाया जा सकता है । एक सरकारी संशोधन में 30 से 40 पंक्तियां जोड़ने का प्रस्ताव किया है । ऐसा संशोधन केवल स्पष्टीकरण करने वाला नहीं हो सकता ।

श्री साल्वे ने सुझाव दिया कि यदि यह विधेयक भूतलक्षी प्रभाव से लागू न किया जाये तो कई लोग इस विधेयक की परिधि से बाहर रह जायेंगे । इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये । मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हुं कि पांच वर्ष की अवधि रखी जाये । इसको उसी दिन से लागू किया जाना चाहिए जिस दिन से ग्रामीण भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित की गई थी । प्रवर समिति को बजट सत्र से पूर्व प्रतिवेदन देने के लिये कहा जाये ताकि इस पर और बिलम्ब न हो ।

श्री के० रघुरामैया : मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिन मामलों का हमने उल्लेख किया है तथा जिसके बारे में मार्गनिर्देशी सिद्धान्त जारी किये गये हैं, ये ऐसे मामले हैं जिन पर इस समय केन्द्रीय सरकार या संसद् का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है । इन पर राज्य सरकार का क्षेत्राधिकार है । अतः हम राज्य सरकारों को मार्ग निर्देशी सिद्धान्त जारी करेंगे ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उनको किस प्रकार क्रियान्वित करना है ।

श्री एच० एम० पटेल : इस स्पष्टीकरण से मेरे सुझाव को बल मिलता है क्योंकि विधेयक प्रवर समिति की भेजने के बाद ही इस बात का पता चल सकता है कि राज्य सरकारों को किस प्रकार के मार्गनिर्देशी सिद्धान्त जारी किये जाने हैं । अतः मंत्री महोदय मेरा सुझाव मान लें ।

श्री इराज्मु द सेकैरा : एक बार यह स्वीकार कर लेने पर कि इस विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा, तो इसे प्रवर समिति को भेजने से देश की वर्तमान स्थिति में कोई अन्तर नहीं आने वाला है । यदि विधेयक अच्छा होगा तो हम उसका क्रियान्वयन भी शीघ्र कर पायेंगे ।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इसका उद्देश्य भूमि का समान वितरण तथा शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना है । काले धन को रोकने में भी इससे सहायता मिलेगी । लोगों द्वारा काले धन की मदद से रिक्त भूमि को ऊंचे दामों पर खरीदने

की बुराई को समाप्त किया जा सकेगा। लेकिन इस विधेयक में उन लोगों के बारे में कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है जिनके पास शहरी क्षेत्र में एक से अधिक मकान है। विधेयक में केवल शहरी भूमि की सीमा बताई गई हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि विधेयक का उद्देश्य समिति है।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the *Chair*]

मैं विधेयक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने वर्ष 1971 के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के घोषणा पत्र को आधार बनाया है। विधेयक इसी तिथि से लागू किया जाना चाहिए।

श्री साल्वे ने शहरी भूमि के मूल स्तर के अन्तर के बारे में कहा है। यह सच है कि भूमि की कीमत प्रत्येक शहर में अलग अलग होती है। इस अन्तर को विधेयक की धारा 4 (1) के (क), (ख), (ग) तथा (घ) भाग में सीमा निर्धारित करके कम करने का प्रयास किया गया है। भूमि की कीमत उस क्षेत्र के महत्व के अनुसार कम अधिक होती है।

एक बात समझ में नहीं आई है। इस विधेयक में वृहत योजना का उल्लेख किया गया है। उदहारणार्थ दिल्ली के लिए वृहत्त योजना बनाई गई है परन्तु विधेयक में वह सारा क्षेत्र शामिल नहीं किया गया है जो वृहत्त योजना में किया गया है। इसी प्रकार राज्य सूची की अनूसूची एक में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मोदीनगर क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया। हरियाणा तथा अन्य तीन राज्यों के बारे में कोई अनुसूची नहीं बनाई गई हैं। इस विधेयक का उद्देश्य तभी पूरा हो सकता है जब कि इन क्षेत्रों को शामिल किया जाए। मेरा सुझाव है कि वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार, एक लाख से अधिक जन संख्या वाले क्षेत्रो को भी इस विधेयक के अन्तर्गत लाया जाए। यह मामला राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

श्री भोगेन्द्र झा ने विधेयक की संवैधानिकता का प्रश्न उठाया है। अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्यों ने केन्द्र सरकार को शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का प्राधिकार दिया है। शहरी सम्पत्ति सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम तथा सामान्यखंड अधिनियम के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति है। लेकिन इस विधेयक में केवल भूमि का उल्लेख किया गया है, भवनो का नहीं। इस विधेयक की असंवैधानिकता का प्रश्न नहीं उठता। सामाजिक न्याय लोगों को तभी मिल सकता है जब प्रत्येक परिवार को प्लाट दिया जाए।

यद्यपि विधेयक का उद्देश्य सीमित है फ़िर भी यह सही दिशा में एक कदम है। और इसका कार्य वर्ष 1973 में आर्थिक नीति सम्बन्धी संकल्प को तथा वर्ष 1971 के कांग्रेस के घोषणा पत्र को क्रियान्वित करना है। इस सीमा तक मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन फ़िर भी इस विधेयक पर पुनः विचार करने तथा कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। हालांकि मंत्री महोदय ने कहा है कि संशोधन मात्र स्पष्टीकरण करने वाले हैं, तथापि संशोधन महत्वपूर्ण हैं। अतः मंत्री महोदय को इस पर विचार करना चाहिए।

फ़िर भी, यह विधेयक सही दिशा में एक कदम है और मैं इसका स्वागत करता हूं।

Shri M. C. Daga (Pali): My submission is that this Bill should be referred to a Select Committee. This Bill has been drafted hurriedly and the hon. Minister watns to get it passed in a short time. Therefore, if this Bill is referred to a Select Committee, it can deliberate over the existing provisions to remove the lacuna in this Bill. This Bill contains provision which cannot be implemented in practice. The provision in regard to competent authority is too lengthy and tedious.

Restrictions have been imposed on the sale and purchase of urban buildings. This would render the construction workers jobless. The provision in regard to various categories of cities is full of loopholes. It is not the correct way of checking the population explosion in cities. In fact, restrictions should be imposed on the prolifration of industries in cities and movement of rural population toc ities.

Clause 6 of the bill provides that every person holding a vacant land in excess of the ceiling limit at the commencement of this act shall, within such period as may be prescribed in the rules. Now the rules are to be framed. It means that this clause and many other clauses wherever the words "as may be prescribed" exist could not be implemented in practice unless the rules are framed.

The Government have allowed very wide discretion to their officers to include or exclude a particular town. This provision should be deleted. Therefore this Bill should be referred to a Select Committee so that necessary amendments may be made therein.

Shri Shivnath Singh (Jhunjhunu): While introducing the Urban Land (Ceiling and Regulation) Bill it was stated by the hon. Minister that Resolutions have been passed by various State Legislatures requesting the Parliament to enact a Statute in this regard. But the present statute is not according to the wishes of the State Legislatures. It does not fulfil the aspriation of the people and fall far short of the expectations of the Common man. When the Government imposed ceiling on agricultural land. it was expected that a similar Bill imposing a ceiling on urban property would be brought by the Government. But that has not been done. The provisions of the Bill are quite different to that of Rural Property Ceiling Act.

The Bill provides that agricultural land will be kept out of the purview of this Bill. But the definition of the word "Agriculture" has been changed altogether. It is surprising that raising of grass, dairy farming, poultry farming and breeding of livestock etc. have been left out from the definition of "Agriculture" in the Bill. This will harm the cause of agriculture.

Similarly the definition of "urbanised land" is very comprehensive and it can include all agricultural land in and around a town. This will hit hard the agriculturists whose lands are situated on the periphery of a town.

The sale and transfer of land was invalidated while enacting the land Ceiling Act in regard to agricultural land, but this has not been done in the present Bill. Clause 4 of the Bill provides as follows:—

> "If any State to which this Act applies in the first instance if on or after the 17th day of February, 1976, but before the appointed day, any person has made any transfer (other than a bonafide transfer under a registration deed for valuable consideration I shall be valid."

Thus the sale and transfer of land before a prescribed date has been made valid under the provisions of this Bill, while the same were invalidated under the provisions of rural land ceiling acts. This is discriminatory and should be looked into.

Under clause 6 of the Bill exemption has been given to educational, cultural, technical or scientific institutions or clubs. This provision is likely to be misused. The hon. Minister should look into it also.

This Bill needs drastic changes. Therefore it should be referred to a Select Committee. so that its loopholes could be plugged and it could be made more effective.

श्री इराज्मुद सेहरा (मारमागोआ) : प्राय: देखा गया है कि ग्रहम जिस उद्देश्य को दृष्टि में रखकर विधेयक लाते हैं, विधेयक बनाते समय उस उद्देश्य को भूल जाते हैं । वर्तमान मामले में भी ऐसा ही हुआ है । सरकार को चाहिये था कि वर्तमान रूप में विधेयक लाने की बजाये न केवल खाली शहरी भूमि पर अपितु एक निश्चित सीमा से अधिक शहरी भूमि पर धनकर में संशोधन करके भारी

कर लगाया जाता । इस से सरकार के उद्देश्य अधिक शीघ्रता से प्राप्त कर सकती थी, जिन्हें इस विधेयक द्वारा प्राप्त करने की बात कही गई है । ऐसा करने से न केवल शहरी खाली भूमि पर अपितु शहरी भूमि और शहरी सम्पत्ति पर सीमा लगाई जा सकती थी । ऐसा करने से उन उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें सरकार प्राप्त करना चाहती है । वर्तमान विधेयक से उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा ।

शहरी भूमि की परिभाषा बहुत व्यापक है । यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें भारत संघ की समस्त भूमि आ सकती है, क्योंकि प्रत्येक भूमि नगर समिति अथवा कस्बा समिति अथवा पंचायत के अन्तर्गत आती है । इस का अर्थ यह हुआ कि देश में कही भी सरकार की अनुमति के बिना मकान नहीं बनाया जा सकता ।

विधेयक में उपबन्धित प्रत्येक बात को छूट देने का अधिकार सरकार के पास है । यह अधिकार राज्यों सरकारों तथा सक्षम अधिकारियों को प्राप्त है । इस का प्रभाव क्या होगा ? इस का प्रभाव यही होगा कि भ्रष्टाचार बढेगा जिस विधान में छूट देने के इतने अधिक अधिकार हों, उस का कार्यान्वयन क्या हो सकता है, सिवाय इसके कि वे भ्रष्टाचार का स्त्रोत बन जाये इस लिये मेरा निवेदन है कि इस बारे में गम्भीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये ।

यदि सरकार चाहती है कि सरकारी भूमि पर एकाधिकार न हो तो सभी प्रकार की छूट को समाप्त किया जाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि विधेयक को प्रवर समिति को सौपा जाये, जो इसम आवश्यक सुधार करे ।

Shri Hari Singh (Khurja) The House is discussing Urban Land (Ceiling and Regulation) Bill. 1976. It is Clear from the Statement of objects and Reasons attached to the Bill that it is a timely measure and its objectives are laudable. It is a further step in the right direction and it is an ample proof that Government is Committed to remove disparity between the rich and the poor . It will go a long way in helping those Countless number of people, who do not have a roof over their head.

There is no doubt that the Bill will go a long way in reducing disparity as far as ownership of the land in urban areas is concerned . I will sugget that all towns having a population of 80 thousand should be brought within the purview of this Bill .

My next submission is that the Government should ensure that no defect or loophole is left in this Bill, because it is feared that the unscripul ous people will take the matter to law courts and the very purpose of the Bill will be defeated.

Registered clubs, charitable societies and trusts have been excluded from the purview of the Bill. It is a known fact that there are numerous fake societies in the Country which are misappropriating the money of the people either in the name of temele or mosque. This provison is likey to be misused. It should be looked into.

My suggestion is that instead of referring the Bill to a Select Committee. It should be passed on the last day of the session because the hon. Members will get time to ponder over the provision of the Bill seriously thereby. With these words I welcome this Bill.

डा० रानेन सेन (बारसाट) : मैं उन माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं जिन्होने कहा हैं कि विधयक को एक संयुक्त समिति अथवा प्रवर समिति को सौपा जाय , क्योंकि यह एक बहुत पेचीदा विधेयक है ।

मैंने इस विधेयक को बड़े ध्यान पूर्वक पढा है और मैं समझता हूं कि यह एक बहुत पेचीदा विधेयक हैं । इस में अनेक खामियां हैं और उन से सभी प्रकार की असमानतायें और त्रुटियां पैदा होंगी उदहारण के तौर पर यद्यपि भवन विनियमों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु विधेयक में भव की परिभाषा कहीं भी नहीं दी गई है ।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वे राज्य को मार्गदर्शी निदेश भेज रहे हैं। जब विधेयक ही त्रुटि-पूर्ण है, तो वह मार्गदर्शी निदेश क्या भेजेंगे।

मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बताना चाहता हुं। कलकत्ता में ऐसा कोई भूखण्ड खाली नहीं है, जिस का समाजीकरण किया जा सके, तो भी कलकत्ता से केवल पांच मील की दूरी पर अत्यन्त महत्वपूर्ण नगरपालिकाओं को अनुसूची से निकला दिया गया है। इस बड़ी खामी को दूर किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

जहां तक मुआवजे के भुगतान का प्रश्न है, केवल भूमि के क्षेत्रफल पर जोर दिया गया है। इस से केवल उन ही लोगों को लाभ होगा, जिन्होने भूमि के बारे में एकाधिकार किया हुआ है और निर्धन लोगों को हानि पहुंचा कर भारी सम्पत्ति जमा कर रखी है।

विधेयक में एक बड़ी खामी यह है कि इस में भवन शब्द की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। विधेयक में उद्योगों, व्यापार गृहों, क्लबों आदि को कुछ छूट दी गई है। कलकत्ता में कुछ ऐसी क्लबे हैं, जिनके नये सदस्य केवल वर्तमान सदस्यों की सिफारिश पर चुने जा सकते हैं और वर्तमान सदस्य वर्ष 1945 से पहले अंग्रेजों द्वारा चुने गये थे। इस से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन क्लबों के सदस्य कौन लोग हैं। मुझे यह समझ नहीं आता कि ऐसी क्लबों को छूट क्यों दी गई है।

यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है और इस के उपबन्ध सराहनीय हैं। इसलिये इसे जल्दबाजी में पास नहीं किया जाना चाहिये। यदि इसे पास करने में दो अथवा तीन महीने का समय और लग गया तो आकाश नहीं गिर जायेगा। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस विधेयक को अन्तिम रूप से पास करने से पहले इस पर पुनर्विचार किया जाये।

Shri Narsingh Narain Pandey (Gorakhpur) : The objectives of the Bill are laudable. The poor people of the country were anxious since long that land ceiling Acts should be passed in regard to urban land as have been passed in the matter of rural land, so that they may also get some land in urban areas. This Bill has a laudable purpsce. In class 'B' and class 'C' cities vacant lands of big lanlords have been given on lease by the Concerned Municipal Boards to high officers or Municipal Commissioners. The remaining land has been acquired for the Master Plan or Housing Societies. This land is outside the cities but has been brought under the urban area. However, the purpose will hardly be achieved with these provisions being made because there are a number of flaws and loopholes in the Bill. If this is passed in its present form. very little or no surplus land will become available to the Government, although it may prove useful for the Master Plan.

Societies have been given exemption. Today, big people have formed Societies of one form or the other. They have set up empires under the garb of these societies. Exemption has been given in respect of charitable trusts, societies and institutions etc. in the Bill. Most of such Societies or trusts have been formed by the rich industrialists in order to evade taxes and to hide their real income. Therefore, this provision is likely to be misused by unscrupulous persons. This should be looked into.

I will urge upon the Minister to plug the loopholes in this Bill so that the Bill becomes an effiective instrument of achieving the laudable purpose of socialisation of land in urban areas.

Shri R. S. Pandey (Rajnandgaon) : I support this Bill. If the Government want to remove the disparity between one person and other and from area to area and city to city, it is necessary to have calculated as to how much surplus land will be available after giving exemption for 500, 1000, 1500 or 2000 sq. metres before this Bill was brought forward, Charitable tusts. societies, clubs etc. will be exempted from the ceiling prescribed in this Bill. Unless these exemptions are withdrawn no worthwhile area of land will be available to the Government in 'A' and 'B' class cities. However, they may get some land in 'C' and 'D' class cities.

We had mentioned in our manifesto in 1971 that we would bring about land reforms and give land to landless, but we could not do so. We could not implement it after the abolition of Zamindari. We could not distribute the land after land reforms.

The provisions of this Bill are not specific. Even the 'competent authority' has not been defined. Therefore, these are likely to be challenged in the courts of law and there will be endless litigation. This will defeat the very purpose of this Bill. Government should look into this aspect also.

It has been provided in Article 252 of the Constitution that the opinion of states be obtained in respect of concurrent subjects. You have sought guidelines from the States, and have taken land and exempted the property. It will not solve the purpose. So for as its retrospective effect is concerned, I would submit that if sale and construction are not made applicable with retrospective effect Government are not going to get any land.

I will request the Minister to inform the House as to how much vacant land will be available to Government in each class of cities as a result of the enactment of this law and the extent to which Government will succeed in their mission.

Shri Paripooranand Painuli (Tihri-Garhwal): This Bill has been brought in accordance with the social objectives declared by the ruling party from time to time. At the time of the split of the Congress and in the 1971 Election Manifesto we had made a proposal for nationalisation of urban property. At the Narcura Congress Session also a proposal was made for socialisation of urban property and our national leaders had given an assurance in this respect. It is a positive step in the right direction.

There is no doubt that this Bill will prevent property going into a few hands in future and check increase in population and unemployment which is causing insanitary conditions and other evils in the cities. However, the provisions of the Bill do not fulfil the expectations of the common man and will hardly achieve the decalred policy of socialisation of urban land.

The definition of 'family' in the Bill differs from the definition made in other ceiling laws passed earlier by the Government. This definition should be made uniform.

An integrated plan for the development of the region comprising the urban area and the entire rural area adjacent thereto should be prepared and the minimum facilities available in urban areas should be provided in rural areas also. This will stop influx of people towards cities.

The limit of ceiling of vacant land in small cities is 2000 sq. metres. This is on the high side and should be reduced.

It will be better if this Bill is referred to a Joint Select Committee in order to remove the shortcomings. But I feel that Shri Raghu Ramaiah is not prepared for this.

With these words, I support this Bill.

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं । ग्रामीण लोग गांवों से नगरों की ओर निरन्तर आ रहे हैं । यदि इस प्रवृत्ति को नहीं रोका गया तो बम्बई, कलकत्ता जैसे बड़े नगरों तथा अन्य स्थानों में गन्दी बस्तियों या सड़कों की पटरियों पर रहने वाले लोगों की सहायता के लिए यह विधेयक सफल नहीं हो सकता । गांवों और छोटे नगरों की दशा सुधारने के लिए दीर्घाकालिक योजना बनानी चाहिये ताकि लोग चिकित्सा सुविधाओं, शिक्षा सुविधाओं अथवा रोजगार के लिए शहरों की ओर न भागें ।

जहां तक मुआवजे का सम्बन्ध है, मैं बताना चाहता हूं कि मुआवजे की राशि बहुत अधिक है । यह साधारण होनी चाहिये ।

नगरों का वर्गीकरण उनके प्रशासनिक एककों के आधार पर किया गया है । मेरा विचार है कि ऐसा उन स्थानों पर भूमि के वर्तमान मूल्य अथवा उसके मूल्याकन के आधार पर किया जाना चाहिये ।

छोटे शहरों में भी भूमि के मूल्य बहुत अधिक हैं। अतः भूमि के मूल्य सम्बन्धी पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिये।

मैं उन सदस्यों से सहमत नहीं हूं जिन्होंने यह सुझाव दिया है कि सहकारी आवास समितियों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकरा से बाहर नहीं रखा जाना चाहिये क्योंकि इन समितियों मे कुछ घोटाला हो सकता है। मेरे विचार में इन समितियों को छूट दी जानी चाहिये।

श्री के० रघुरामैया : हमने किसी सहकारी समिति को छूट नहीं दी है। हमने केवल यह किया है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की कोई योजना लाता है तो वह भूमि सीमा से बाहर होगी। जहां तक गृह निर्माण समितियों का सम्बन्ध है, उसमें प्रत्येक शेयरधारी की भूमि उसके हिस्से में मानी जायेगी।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं इससे सहमत नहीं हूं क्योंकि बहुत से स्थानों पर स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमति मिलने में विलम्ब के कारण मकान बनाये नहीं गये हैं, भूमि अर्जित की गई है परन्तु आवेदन-पत्र पड़े हुए है। अतः वास्तविक सहकारी समितिचां, जो मध्यम आय वर्ग या निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों की हैं, इस विधेयक के क्षेत्राधिकरा से निकाल दी जानी चाहियें।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का यह कहना है कि सहकारी समिति के सदस्य का शेयर उस भूमि में है। हिसाब-किताब के लिए केवल वही भूमि गिनी जायेगी।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं खाली भूमि की बात कर रहा हूं जहां पर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा विलम्ब के कारण न कि समिति के सदस्यों की किसी प्रकार की गलती के कारण निर्माण नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह फालतू है तो वह इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में आयेगी।

श्री विश्व नारायण शास्त्री (लखीमपुर) : इस विधेयक का उद्देश्य प्रशंसनीय है, परन्तु विधेयक में दिये गये विभिन्न खण्ड उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस विधेयक में किये गये उपबन्ध नगरीय भूमि की सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी की समस्या का समाधान करने के लिए बिलकुल अपर्याप्त हैं तथा इससे आपेक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं होगा। अतः इसमें और अधिक विशिष्ट और कठोर उपबन्ध किये जाने चाहियें।

एक ही शहर में भूमि का मूल्य अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न है। अतः शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करते समय भूमि के मूल्य को ध्यान में रखकर उस पर विचार किया जाना चाहिये।

कुछ सदस्यों ने बताया है कि एक व्यक्ति के एक ही राज्य में एक से अधिक मकान हो सकते हैं या एक व्यक्ति के विभिन्न राज्यों में एक से अधिक मकान हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के एक ही राज्य में एक से अधिक मकान हों तो राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि वह या उसके परिवार का कोई सदस्य उस राज्य में एक से अधिक मकान नहीं रख सकता परन्तु यदि मकान अलग अलग राज्यों में हैं तो केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

प्रतीत होता है कि इस बिधेयक से गरीब लोगों को कोई सहायता नहीं मिलेगी। इससे मध्यम आयवर्ग के लोगों को हानि होगी। हो सकता है कि वह भूमि खरीद ले परन्तु मकान बनाने की स्थिति ही में न हो। उसकी फालतू भूमि तो अर्जित कर ली जाऐगी। संसाधानों वाला व्यक्ति भूमि पर कुछ ही दिनों में मकान बना सकता है। इस विधेयक से मध्यम आय वर्ग के लोगों को तो कुछ सीमा तक हानि होगी और अमीर लोगों को भारी लाभ होगा।

इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये ताकि अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : यद्यपि यह विधेयक सदाशय से लाया गया है, फिर भी इसमें अनेक असमानताएं परस्पर विरोध और त्रुटियां हैं।

शायद शहरों का वर्गीकरण जनसंख्या के आधार पर किया गया है। वर्गीकरण करने का यह बहुत ही गलत तरीका है। थाना में, जो बम्बई की सीमा पर है, अधिकतम सीमा 2000 मीटर है जबकि बम्बई में केवल 500 मीटर है। जो व्यक्ति मुनाफाखोरी करने या भवन निर्माण करने का इच्छुक है वह बम्बई से थाना चला जायेगा।

बम्बई नगर निगम का पहले से दिवाला निकला हुआ है। इस विधेयक से भवन निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और निगम की आय में अकस्मात कमी हो जायेगी।

कुछ संस्थाओं को निर्धारित सीमा से अधिक भूमि लेने की छूट दी गई है। इस तरह तो बम्बई में सरकार एक मीटर भूमि भी नहीं ले सकती। विधेयक में से छूट देने वाले उपबन्ध को हटा दिया जाना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि वह इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए सहमत नहीं हैं तो उन्हें सत्र के अन्तिम दिन तक इसे पास कराने की प्रतीक्षा करनी चाहिये क्योंकि इसमें कई त्रुटियां हैं। जिस उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है यदि वह पूरा नहीं होता तो इससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में असन्तुलन पैदा होगा। अतः इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

श्री वसंत साठे (अकोला) : मंत्री महोदय इस विधेयक को पेश करने के लिए बधाई के पात्र हैं। यद्यपि इस विधेयक में उत्साहहीनता झलकती है तथापि न होने से कुछ होना ठीक है।

यह विधेयक एक व्यापक विधेयक नहीं है क्योंकि इसका सम्बन्ध समूची शहरी सम्पत्ति से नहीं है। ग्यारह राज्य विधान सभाओं में जो संकल्प पारित किया है वह समूची शहरी सम्पत्ति के बारे में है। मंत्री जी को यह बात सपष्ट करनी चाहिये कि समूची सम्पत्ति के सम्बधं में विधेयक पेश करने के मार्ग में कौन सी बाधा उत्पन्न हुई है।

विधेयक में कई त्रुटियां हैं। बेहतर यह कि हम भली भांति सोच विचार करें ताकि उन त्रुटियों को दूर किया जा सके।

न्यायाधिकरण के निमार्ण पर उच्च न्यायालय में अपील करने का भी उपन्बध किया गया है। उच्च न्यायालया में दूसरी अपील करने के उपबन्ध में मुकदमेंबाजी होगी और किस मामले पर निर्णय लेने में सालों लग जायेंगे। इस प्रकार सरकार को कैसे भूमि मिलेगी ? यदि सरकार इस बारे में वास्तविक रूप से गम्भीर है तो फिर दूसरी अपील के लिए विधेयक में कोई उपबन्ध नहीं किया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार खाली भूमि लेना चाहती है ताकि गरीब लोगों को उस भूमि पर मकान बन कर दिये जा सकें। यदि मुकदमेबाजी से यह उद्देश्य पूरा नहीं होता तो कमजोर वर्गों के लिए आप कब क्या करेंगे।

मैं समझता हूं कि कि सरकार को वर्तमान विधेयक की त्रुटियों पर विचार कर एक समुचित विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

श्री एस० एम० सिद्धय्या (चामराजनगर) : प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य तो सराहनीय है परन्तु इसके उपबन्ध कुछ निराशा जनक है। हमारे दल ने 1971 के आम चुनावों में अपने घोषणापत्र में जनता को आश्वासन दिया था कि शहरों में सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगायी जायेगी, परन्तु यह निराशाजनक बात ही है कि अभी तक उस आश्वासन को पूरा नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के विधान मंडलों द्वारा शहरी सम्पत्ति के बारे में संकल्प किये गये है कि संसद् द्वारा शहरी सम्पत्ति के बारे में बनाया गया कोई भी विधान उन्हें मान्य होगा। आज सम्भवता यह विधेयक उस संकल्प का क्रियान्वित नहीं करता। इसमें अनेक त्रुटियां हैं। विधेयक के अन्तर्गत समूची शहरी सम्पति नहीं रखी गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान विधेयक राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित संकल्पों को लागू नहीं करता है। भूमि की जो अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, वह बहुत ही अधिक है। इससे बम्बई तथा दिल्ली जैसे बड़े शहरों में फालतू भूमि मिलने वाली नहीं है। फिर फालतू भूमि के बटवारे के बारे में जो उपबन्ध किये गये है, वह भी त्रुटिपूर्ण हैं। सम्पूर्ण विधेयक में एक भी ऐसा उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्ग की सहायता के लिए यदि कोई व्यक्ति अधिक भूमि रखना चाहे, तो वह रख सके।

मेरा अनुमान है कि इस विधेयक को काफी जल्दबाजी में पेश किया गया है। अभी इसमें अनेक त्रुटियां हैं। यह विधेयक संयुक्त समिति को सौंप दिया जाना चाहिये ताकि वह इस पर व्यापक रूप से विचार कर सके।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : We all were eagerly awaiting this Bill and I welcome the same. It will meet the ends of justice because prior to this a ceiling on rural land had already been imposed and justice demanded that ceiling on urban land too should be there.

Before the introduction of this Bill. I heard people saying that why the introduction of land ceiling Bill is being delayed but now when it has been introduced. its clauses and sub-clauses have been put to lot of criticism. A close and serious study of the clauses of the Bill does not leave much room for the apprehensions, which the people have expressed in their criticism. Proper provisions have been made for the payment of Compensation and interest also. I personally feel that there was hardly any need for making a provision for the payment of interest. Anyhow, this Bill is as important step for the achievement of the utlimate goal of socialism. It will help a lot in checking the speculation in urban land. The prices of land will fall and it will be possible to put excess urban land to proper use. The excess land should be given to those who have no houses. With the passage of this Bill speculation in land will come to an end and the prices of land will also fall. This will also help in tackling the problem of black money. The weaker sections of our society will be benefited by this to a greater extent. I support the Bill.

प्रो० नारायणचन्द पराशर (हमीरपुर) : मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत इस रूप से करता हूं कि इसके अन्तर्गत निजी शहरी सम्पत्ति की वृद्धि की प्रवृति को रोकने के लिए कठोर कार्यवाही की गई है। इसके आधार पर हमें यह आशा बन्ध जाती है कि निकट भविष्य में शहरों की सम्पत्ति के बढ़ाने पर हर प्रकार की रोक लगा दी जायेगी। वर्तमान विधेयक का प्रमुख उद्देश्य शहरी सम्पत्ति का केवल कुछ लोगों के हाथों में केन्द्रित होने से रोकना ही है तथा इसी के परिणामस्वरूप मुनाफा खोरी तथा सट्टेबाजी भी रूक जायेगी। मैं समझता हूं कि विधेयक की परिधि में शहरी भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना ही नहीं आता बल्कि उस अतिरिक्त भूमि को अपने हाथ में लेने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की गई है जो निश्चय ही एक सराहनीय कदम है।

सम्पूर्ण देश के केवल 73 नगरों को ही विधेयक के अन्तर्गत लाया गया है। परन्तु इस में भी शैक्षणिक संस्थाओं तथा ट्रस्टों आदि की कुछ छूट भी दी गई है परन्तु इस सम्बन्धी उपबन्ध

स्पष्ट नहीं है। सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिये कि क्या यह छूट केवल पंजीकृत संस्थाओं को ही दी जायेगी या इससे वह संस्थायें भी लाभ उठा सकेंगी जिनकी स्थापना छात्रों के अभिभावकों से पैसा लूटने के उद्देश्य से की गई हो।

दूसरी बात यह मैं कहना चाहता हूं कि फालतू भूमि के निपटान के बारे में जो यह व्यवस्था है कि उसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को देनी पड़ेगी और यदि सक्षम प्राधिकारी 60 दिन में उनके भूमि हस्तांतरण सम्बन्धी पत्र का उत्तर नहीं देता, तो यह माना जायेगा कि उस की मंजूरी मिल गई है। यह व्यवस्था भ्रामक सी है। इसके बारे में स्पष्ट निदेश देना चाहिये।

प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य यद्यपि सराहनीय है परन्तु फिर भी ऐसा लगता है कि इससे समाज का अधिकांश वर्ग संतुष्ट नहीं होगा क्योंकि लोग चाहते हैं कि सभी प्रकार की शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाये। अतः सरकार को इसके लिए एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये।

Shri Ram Chandra Vikal (Bhagpat): Although this Bill has been brought late but still I welcome the same. Some of my colleagues have pointed out towards the weaknesses of this Bill. I personally feel that but for Financial Bill, all other bills should first be referred to Joint Select Committee. In this particular case, if that was not possible, sufficient time should have been given to Members for considering the various provisions of the Bill. It could have been taken on the last day of this session. i.e. 6th February. 1976.

It is strange that a provision has been made to exempt clubs from the possession of land in excess of ceiling but this Concession has not been given to poultry farms and dairy farms. This should be looked into by the Government. I may further add that people were expecting a bill on all types of urban property but this Bill has been restricted to urban land only. I think that a comprehensive bill will be more suitable for the achievement of desired objectives.

Shri ShriKishan Modi (Sikar): I simply want to know one thing only. For instance if in Delhi. There is a plot of 700 sq. metres and there is ceiling of 500 sq. metres of land. how the remaining 200 sq. metres will be acquired by the Government ? May I know if Government will take into consideration the covered area only ? If the surplus land of 100 sq. metres or 200 sq. metres does not suit for any other plot or purpose, what Government will do in such a case.

Shri T. Sohan Lal (Karol Bagh): This Bill is a step in the right direction. But it would have been much better if this had been made applicable to the entire urban property as stated by many of my other friends also.

I being, a representative of Delhi would like to restrict myself to the impacts of this Bill on Delhi. I may make it clear that this Bill will adversely affect the rural areas of Delhi as most of the Delhi villages come under the limits of Delhi Municipal Corporation. The population of these villages has increased and the land left for residenial purposes is not insufficient for the increased population. The huge constructed buildings of Delhi have not been covered in the Bill as it is applicable on to the vacant land.

I am of the opinion that some more time should be given for the considerations of such aspects and to remove the glaring shortcomings of the bill.

Shri Dalip Singh (Outer Delhi) I support the Bill because like agricultural land ceiling, we were demanding a ceiling on urban property also. But we were expecting that this Bill will impose ceiling on all urban property. I feel that this bill is only a half-hearted measure, as it imposes a ceiling on urban land only the Government should reconsider the matter and should come forward with a Bill imposing a ceiling on urban property.

Much of the rural areas of Delhi comes within the limits of Delhi Municipal Corporation. My submission is that the rural areas of Delhi should be exempted from the application of this Bill. Like the metropolition cities of Bombay, Calcutta and Madras, where 5. 6 kilometre urban area is being taken whereas in Delhi 35.40 K.M. area is being taken, and most this area is rural area.

The need of the hour is to impose ceiling on urban property. It will be much better if the Government decides to impose restriction on the entire urban property. If it is done, it will be

convenient for the Government to build more houses for the weaker sections of the society as more land willl be available for the purpose. It will lead to social transformation to which our party is wedded.

श्री के० रघुरामैया : सभा के सभी वर्गों द्वारा विधेयक का जो व्यापक समर्थन किया गया है उसके लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। यह हर्ष की बात है कि सदन के दोनों पक्षों में से किसी ने भी विधेयक की मूल भावना का विरोध नहीं किया है, हां, इसके लागू करने की सीमा के बारे में अवश्य मतभेद व्यक्त किया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अपने वक्तव्यों के दौरान यह आरोप लगाया गया है कि सम्भवत: कुछ निहित स्वार्थों के दबाव के कारण ही केवल खाली भूमि पर ही अधिकतम सीमा लागू की जा रही है, परन्तु मैं इसका खंडन करता हूं। सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर अधिकतम सीमा लगाने का विचार हमने सम्पत्ति के मूल्यांकन के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों के कारण छोड़ दिया है। परन्तु मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बड़े-बड़े मकानों या महलों को यों ही छोड़ दिया जायेगा। हमने राज्य सरकारों को उन पर उपर्युक्त कर लगाने के लिए कह दिया है।

श्री भोगेन्द्र झा ने कहा है कि यदि सरकार के समक्ष इस सम्बन्ध में कोई कठिनाई थी तो उसने अनुच्छेद 250 के अन्तर्गत कार्यवाही क्यों नहीं की? मैं इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दूं कि अनुच्छेद 250 के अन्तर्गत आपात स्थिति में ही कार्यवाही की जाती है और आपात स्थिति के समाप्त होते ही उसके अन्तर्गत बनाये गये सभी विद्यमान अप्रभावी हो जाते हैं। हम यह विद्यमान विधान स्थाई रूप से बनाना चाह रहे हैं अत: इसीलिए हमने इसे अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार एक सदस्य का कहना था कि मुआवज़ा अधिक दिया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हमने 1 रुपये से 10 रुपये तक का मुआवज़ा देने का उपबन्ध किया है और राज्य सरकार इसमें से कुछ भी दे सकती है।

जहां तक उद्योगों का सम्बन्ध है, यह सीमा उन पर भी लागू होती है परन्तु हमने यह उपबन्ध कर दिया है कि अधिक भूमि की आवश्यकता के बारे में यदि राज्य सरकारें संतुष्ट हो तो ऐसा किया जा सकता है। हमारा इरादा उद्योगों के हितों को हानि पहुंचाना नहीं है साथ ही यह भी नहीं चाहते कि उद्योगों के पास फालतू भूमि पड़ी रहे। इसीलिए यह विधेयक दोनों पर लागू होगा।

श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि क्योंकि 'भवन' की परिभाषा नहीं दी गई है इसलिए अधिक व्यापक विधेयक की आवश्यकता है और इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये परन्तु मेरा उनसे अनुरोध है कि वह रिक्त भूमि की परिभाषा देखें। इससे स्पष्ट हो जाता है कि नगरपालिकाओं, पंचायतों आदि के अनुमोदन से बनाए गए भवनों के अतिरिक्त सभी प्रकार की भूमि रिक्त मानी जाएगी। इसमें सहकारी भवन-निर्माण समितियों की भूमि शामिल नहीं है जैसा कि श्री हरी सिंह जी ने शंका व्यक्त की थी। इस भूमि के आवंटन के साथ ही उस पर यह विधान लागू हो जाएगा।

कहा गया है कि छूटों की वर्तमान व्यवस्था से तो कलकत्ता और बम्बई जैसे नगरों में अर्जन के लिए कुछ नहीं बचेगा। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री

इस विधेयक के उपबन्धों से पूरी तरह संतुष्ट हैं और उन्हें भी जन साधारण के हितों का उतना ही ख्याल है जितना कि हम सभी को है।

आश्चर्य है कि श्री साठे जैसे व्यक्ति भी क्लबों और सभा-सोसाईटियों के पास मैदानों आदि के रूप में पड़ी भूमि पर भी आपत्ति करते हैं जबकि वे स्वयं खेलकूद में रुचि रखते हैं। इसीलिए उन व्यायामशालाओं और क्लबों आदि के पास भूमि को इस विधान से मुक्त रखा गया है जिन्हें राज्य सरकारों की मान्यता प्राप्त है।

जहां तक दूसरी अपील का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था कुछ भूमि सीमा अधिनियमों में पहले से ही है, अतः इस विधान में भी यही व्यवस्था की गई है।

श्री वसंत साठे (अकोला) : क्या अपीलें निपटाने के लिए कोई समय-सीमा रखी गई है, क्योंकि कई बार 10 वर्ष तक लग जाते हैं?

श्री के० रघुरामैया : न्यायालयों की प्रक्रिया में सुधार अपेक्षित है। ऐसा होते ही इसमें विलम्ब नहीं होगा।

श्री वसंत साठे : क्या दूसरी अपील का उपबन्ध रखना अनिवार्य है?

श्री के० रघुरामैया : जी नहीं। यदि हमें लगा कि इससे बाधा पड़ रही है, तो मैं अवश्य संशोधन लाऊंगा। जहां तक नगरों के वर्गीकरण का सम्बन्ध है, जितना बड़ा नगर होगा, वहां भूमि की उतनी अधिक मांग और कमी होगी। इसीलिए वर्गीकरण किया गया है।

जहां तक विधेयक को प्रवर समिति के विचारार्थ भेजने का सम्बन्ध है हम काफी समय से इसे लाने की बात कहते हैं और अब इसकी मांग की जा रही है अतः हम इसे अविलम्ब विधान का रूप देना चाहते हैं क्योंकि प्रवर समिति विचार में काफी समय ले लेती है।

श्री शिवनाथ सिंह (झुंझुनू) : कृषि भूमि की जो परिभाषा दी गई है उसमें कृषि से सम्बन्धित कोई बात शामिल नहीं है।

श्री के० रघुरामैया : यह मेरे सुझाव पर किया गया है और इसका कारण यह है कि मुर्गीपालन जैसे उद्योग एक दिन में लगाये जा सकते हैं। वास्तविक कृषि भूमि को छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार जिन के पास 500 वर्ग मीटर या इससे कम भूमि है उन्हें क्रय-विक्रय के लिए केवल अनुमति ही प्राप्त करनी होगी। उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

विस्थापितों की कालोनियों के बारे में, मैं बताना चाहता हूं कि यदि वे सरकारी भूमि पर हैं तो राज्य सरकार यदि चाहे तो भूमि उन्हीं के पास रहने दे सकती है।

सभापति महोदय : काफी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और उनके उत्तर दिए जा चुके हैं। अब मैं श्री आगा का संशोधन संख्या मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 1 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब मैं श्री हाल्दर का संशोधन संख्या 52 मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 52 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 52 was put and negatived.

सभापति महोदय : अब, प्रश्न यह है :

"कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में नगर सम्पत्ति के संकेन्द्रण को तथा उसमें सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी को रोकने के उद्देश्य से और सामूहिक हित के सर्वोत्तम साधन के लिये नगर बस्ती की भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के उद्देश्य से नगर बस्ती में रिक्त भूमि की अधिकतम, सीमा अधिरोपित करने का, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि के अर्जन का, ऐसी भूमि पर भवनों के सन्निर्माण को विनियमित करने का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे। इस खण्ड पर संशोधन है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं अपने संशोधन संख्या 13, 14 और 15 पेश करता हूं।

I want the title of the Bill to be Urban Property ceiling Bill. In response to our constant request for bringing a legislation to improve a ceiling on urban property.

Government have at last brought this Bill which is full of loopholes and exemptions.

Hence my amendment.

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 29–32, 34 और 35 पेश करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 40 पेश करता हूं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं अपने संशोधन संख्या 53 और 54 पेश करता हूं।

श्री दिनेश जोरदर (माल्दा) : मैं अपने संशोधन संख्या 55 और 56 पेश करता हूं।

श्री इराज्म-द-सेकैरा (मारमागोआ) : मैं अपने संशोधन संख्या 61–63 और 64 पेश करता हूं।

श्री एस० एम० सिद्दैय्या (चामराजनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 79 और 89 पेश करता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं अपने संशोधन संख्या 92, 94 और 95 पेश करता हूं।

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 14, Stage (स्थिति) के **स्थान पर** Stages (स्थितियां) पढ़ें । (100)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,--

association (व्यष्टि संगम) के स्थान पर "association or body" (व्यष्टि संगम या व्यष्टि निकाय) पढ़े। (101)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 और 23,--

"in relation to any land (whether vacant land or not)" किसी भूमि के सम्बन्ध में (चाहे रिक्त हो या न हो) **के स्थान पर** "in relation to any vacant land" (किसी रिक्त भूमि के सम्बन्ध में) पढ़ें । (102)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28,--

"Same land" (वही भूमि) **के स्थान पर** "Same vacant land" (वही रिक्त भूमि) **प्रतिस्थापित किया जाये** । (103)

पृष्ट 4, पंक्ति 26, से 36, के स्थान पर----

"(B) Land shall not be deemed to be used mainly for the purpose of agriculture, if such land is not entered in the revenue or land records before the appointed day as for the purpose of agriculture :

Provided that where on any land which is entered in the revenue or land records before the appointed day as for the purpose of agriculture, there is a building which is not in the nature of a farm house, then, so much of the extent of such land is occupied by the building shall not be deemed to be used mainly for the purpose of agriculture :

Provided further that if any question arises whether any building is in the nature of a farmhouse, such question shall be referred to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final ;

(C) notwithstanding anything contained in clause (B) of this *Explanation*, land shall not be deemed to be mainly used for the purpose of agriculture if the land has been specified in the master plan for a purpose other than agriculture."

["(ख) किसी भूमि के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि यह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लगाई जा रही है, यदि ऐसी भूमि नियत दिन के पहले राजस्व या भूमि अभिलेखों में कृषि के प्रयोजन के लिये भूमि के रूप में प्रविष्ट नहीं है :

परन्तु जहां ऐसी भूमि पर जो नियत दिन के पहले राजस्व या भूमि अभिलेखों में कृषि के प्रयोजन के लिये भूमि के रूप में प्रविष्ट है, कोई भवन है जो कृषि-गृह नहीं है तो, ऐसी भूमि के उतने विस्तार के बारे में, जो भवन द्वारा अधिमुक्त है यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाया जा रहा है :

परन्तु यह और कि यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भवन कृषि-गृह है या नहीं तो ऐसा प्रश्न राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(ग) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) में किस बात के होते हुये भी, किसी भूमि के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग

में लायी जा रही है, यदि ऐसी भूमि महायोजना में कृषि से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट की गई है "।] **प्रतिस्थापित किया जाये** । (104)

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 के स्थान पर—

(या भागतः उक्त हैस्यित में से एक और भागतः उक्त हैसियत **या** हैसियतों में से अन्य में अपने कब्जे में रखना) प्रतिस्थापित किया जाये । (121)

पृष्ठ 4, पंक्ति 12,—

(वहां) के स्थान पर

(वहां किसी नगर बस्ती की सीमाओं के भीतर की कोई भूमि जो)

प्रतिस्थापित किया जाये । (122)

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : मैं अपना संशोधनों संख्या 154 पेश करता हूं ।

श्री भोगेन्द्र झा : हमने इस विधेयक का स्वागत किया तथा उसे प्रवर समिति के पास भेजे जाने का विरोध किया था क्योंकि इस विधेयक की चिरकाल से प्रतीक्षा की जा रही थी । इसमें और विलम्ब नहीं किया जाना चाहिये । जो छूटें दी जा रही है उनसे मध्यम श्रेणी के गृह-हीन व्यक्तियों की आशाएं धूल में मिल गई हैं । खण्ड 2 में से बार-बार आग्रह करने पर भी "केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से" शब्द निकालना स्वीकार नहीं किया है । मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये । मैं समझता हूं कि उन्हें संशोधन स्वीकार करने की छूट नहीं है परन्तु यह संशोधन विधेयक की भावना के विरुद्ध नहीं है । विधेयक में हमने निवास के लिये 500 वर्ग मीटर तथा उसके अलावा 500 वर्ग मीटर रिक्त भूमि की सीमा रखी है । अपने दूसरे संशोधन में मैंने सरकार की पूर्व स्वीकृति में से 'पूर्व' शब्द हटाने पर सुझाव दिया है ।

श्री इराज्मु-द-सेकैरा (मारमागोआ) : मेरे संशोधन संख्या 61 में केवल यही मांग की गई है कि सक्षम अधिकारी राज्य सरकारों के संयुक्त सचिव से कम स्तर का न हो । यह इसलिये आवश्यक है कि हम यह सुनिश्चित कर लें कि सक्षम अधिकारी पर्याप्त वरिष्ट एवं पर्याप्त अनुभव वाला व्यक्ति हो ।

अपने दूसरे संशोधन में मैंने केवल यही सुझाव दिया है कि पंचायत के क्षेत्र भी जिनकी आबादी एक लाख से अधिक है नगर भूमि के समान माने जायें । आज चाहे सम्भव न हो कल को सम्भव हो सकता है ।

संशोधन संख्या 64 में 'कृषि' की नई परिभाषा के सम्बन्ध में है । हमें 'कृषि' की सही परिभाषा करनी चाहिये, जैसा कि हम उस बारे में पहले जानते हैं ।

मंत्री महोदय द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण जंचता नहीं है क्योंकि कृषि भूमि को इससे मुक्त रखा जाना है ।

मंत्री महोदय मेरे संशोधन संख्या 63 पर विचार करें क्योंकि यदि वह इसे स्वीकार नहीं करते तो वह देश में कहीं पर भी किसी भी भवन की बिक्री पर रोक लगा रहे होंगे ।

डा० रानेन सेन : मैं संशोधन का, विशेष रूप से संशोधन के पहले भाग का, विरोध करता हूं। ऐसा लगता है कि वह चाहते हैं कि समूचा देश इस नियम के अन्तर्गत आ जाता है। वास्तव में मेरे मित्र श्री भोगेन्द्र झा सभी जिला मुख्यालयों को इसके अन्तर्गत लेना चाहते हैं। अब भी वह ऐसा ही चाहते हैं। यदि यह संशोधन स्वीकार किया जाता है तो देश के अधिकांश बड़े राज्यों को हानि पहुंचेगी। मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री एस० एम० सिद्दैय्या : समाज के निम्न वर्गों के लिये आवासों के निर्माण का उल्लेख किया गया है परन्तु 'निम्न वर्ग' की परिभाषा नहीं की गई। मैंने अपने संशोधन में ऐसे व्यक्तियों को निम्न वर्ग में लिये जाने का प्रस्ताव किया है जिनकी वार्षिक आय 2400 रुपये से कम है। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री नाथू राम मिर्धा : अपने संशोधन में मैंने 'रिक्त भूमि' की परिभाषा दिये जाने का सुझाव दिया है। यदि किसी व्यक्ति के पास 500 वर्ग मीटर निर्मित मकान है। अथवा 500 वर्ग मीटर की रिक्त भूमि है तब वह 100 वर्ग मीटर रख सकेगा जब कि जिस व्यक्ति के पास केवल 700 वर्ग मीटर रिक्त भूमि है तो उसे 200 वर्ग मीटर भूमि देनी होगी क्योंकि वह मकान निर्मित नहीं कर पाया।

मैंने अपने संशोधन द्वारा यह प्रस्ताव किया है कि ऐसे व्यक्तियों के लिये जिनके पास निर्मित मकान नहीं है मकान बनाने के लिये अतिरिक्त भूमि रख सकने की व्यवस्था के लिये कहा है क्योंकि ऐसा न करने से मकान न रखने वाले व्यक्तियों से न्याय नहीं हो सकेगा। भेदभाव समाप्त किया जाने के लिये मैंने यह सुझाव दिया है।

श्री के० रघुरामैया : मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा व्यक्त किये गये भावों की प्रशंसा करता हूं परन्तु मैं उनके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। हम राज्य सरकारों का मार्गदर्शन ही कर सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा के सुझाव पर मेरा निवेदन है कि हमने किसी सीमा से तो शुरू करना ही था। अतः हमने इस समय एक लाख से शुरू किया है। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि पूरे देश में एक रूपता लाई जा सके।

श्री सेकैरा ने अपने राज्य के कुछ नगरों का स्तर ऊंचा करने का सुझाव दिया है। इसका निर्णय राज्य सरकार ही कर सकती है। मुझे पूरी आशा हैं कि राज्य सरकारें इस ओर ध्यान देंगी।

श्री मिर्धा के इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि हम अतिरिक्त 500 वर्ग मीटर क्यों दे रहे हैं, मेरा निवेदन है कि अभी हम भवनों को नहीं ले रहे हैं, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। राज्य सरकारें भव्य भवनों पर भारी कर लगायेंगी। अतिरिक्त 500 वर्ग मीटर हमने इसलिये स्वीकार किया है, क्योंकि इनका आयोजन बहुत पहले किया गया था जिसे हम अभी भंग नहीं करना चाहते। इसके अतिरिक्त सभी कुछ अधिनियम के अन्तर्गत है और इसे ध्यान में रखा जाएगा।

श्री नाथु राम मिर्धा : आप 1,000 वर्ग मीटर और भवन की अनुमति दे रहे हैं । यदि किसी व्यक्ति के पास 1,000 वर्ग मीटर भूमि है, उसके पास 500 वर्ग मीटर निर्माण के लिये छोड़ दें । तब उसके पास अन्य लोगों की तुलना में कम ही अधिक जमीन होगी ।

श्री के० रघुरामैया : यह अतिरिक्त 500 वर्ग मीटर मुक्त नहीं की जाएगी । उस पर कर लगेगा ।

सभापति महोदय : अब मैं विभिन्न सरकारी संशोधन सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 14—Stage (स्थिति) **के स्थान पर** Stages (स्थितियां) पढ़ें । (100)

पृष्ठ 3, पंक्ति 16,—

association (संगम) **के स्थान पर** 'association or body' (संगम या निकाय) पढ़ें । (101)

पृष्ठ 3, पंक्ति 22 और 23,—

'in relation to any land whether vacant land or not' (किसी भूमि के सम्बन्ध में, चाहें रिक्त हो या न हो) के स्थान पर 'in relation to any vacant land' (किसी रिक्त भूमि के सम्बन्ध में) पढ़ें । (102)

पृष्ठ 3, पंक्ति 28,—

'same land' (वही भूमि) के स्थान पर 'same vacant land' (वही रिक्त भूमि) प्रतिस्थापित किया जाये । (103)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26 से 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"(B) Land shall not be deemed to be used mainly for the purpose of agriculture, if such land is not entered in the revenue or land records before the appointed day as for the purpose of agriculture :

Provided that where on any land which is entered in the revenue or land records before the appointed day as for the purpose of agriculture, there is a building which is not in the nature of a farmhouse, then, so much of the extent of such land as is occupied by the building shall not be deemed to be used mainly for the purpose of agriculture :

Provided further that if any question arises whether any building is in the nature of a farmhouse, such question shall be referred to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final ;

(C) notwithstanding anything contained in clause (B) of this *Explanation*, land shall not be deemed to be mainly used for the purpose of agriculture if the land has been specified in the master plan for a purpose other than agriculture".

['(ख) किसी भूमि के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई जा रही है, यदि ऐसी भूमि नियत दिन के पहले राजस्व या

भूमि अभिलेखों में कृषि के प्रयोजन के लिए भूमि के रूप में प्रविष्ट नहीं है :

परन्तु जहां ऐसी भूमि पर जो नियत दिन के पहले राजस्व या भूमि अभिलेखों में कृषि के प्रयोजन के लिए भूमि के रूप में प्रविष्ट है, कोई भवन है जो कृषि-गृह नहीं है तो, ऐसी भूमि के उतने विस्तार के बारे में, जो भवन द्वारा अधिमुक्त है यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है :

परन्तु यह और कि यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भवन कृषिगृह है या नहीं तो ऐसा प्रश्न राज्य सरकार को निर्देशित किया जाएगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा;

(ग) इस स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह मुख्यतः कृषि के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है, यदि ऐसी भूमि महायोजना में कृषि से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिये विनिर्दिष्ट की गई है।"] प्रतिस्थापित किया जाए। (104)

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 **के स्थान पर** निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

'or partlyin one of the said capacities and partly in any other of the said capacityr capacit ies."

(या भागतः उक्त हैसियत में से एक और भागतः उक्त हैसियत या हैसियतों से अन्य में अपने कब्जे में रखना) प्रतिस्थापित किया जाये। (121) **में**

पृष्ठ 4, पंक्ति 12,—

"any land situated". (वहां) **के स्थान पर**

"anyland within the limits of urban agglomeration and situated ".

(वहां किसी नगर बस्ती की सीमाओं के भीतर की कोई भूमि जो (जो) प्रतिस्थापित किया जाए।) (122)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : । अब मैं इस खण्ड से सम्बन्धित अन्य सभी संशोधन मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 13 से 15, 29 से 32, 34, 35, 40 से 56, 61, 63, 64, 79, 80, 92, 94, 95 और 154 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

The amendment Nos. 34, 35, 40 to 56, 61, 63, 64, 79, 80, 92, 94 95 and 154 were put and negatived.

सभापति महोदय : : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2, as amended was added to the Bill.

खण्ड 3

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 5, पंक्ति, 17 से 19 के स्थान पर

Persons not entitled to hold vacant land in excess of the ceiling limits

"3. Except as otherwise provided in this Act, on and from the commencement of this Act, so person shall be entited to hold any vacant land in excess of the ceiling limit in the territories to which this Act applies under sub-section (2) of section 1.".

(पृष्ठ 4, पंक्ति 20 से 22 के स्थान पर निम्नलिखित रखें--

व्यक्तियों का अधिकतम सीमा से अधिक भूमि रखने का हकदार न होना।

"3. जैसा इस अधिनियम में उपबन्धित है उसके सिवाए इस अधिनियम के प्रारम्भ से ही कोई व्यक्ति उन राज्य क्षेत्रों में जिनको यह अधिनियम धारा 1 की उपधारा (2) के अधीन लागू होता है, अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करने का हकदार नहीं होगा।" ।)

प्रतिस्थापित किया जाये। (105) (श्री के० रघुरामैया)

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपना संशोधन संख्या 36 और 37 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संख्या 37 पर मैं मतदान का आग्रह करता हूं।

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 36 मतदान के लिये रखता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 36 मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 36 was put and negatived.

सभापति महोदय : मैं संशोधन संख्या 37 मतदान के लिये रखता हूं।

लोक-सभा में मत विभाजन आ।

Lok Sabha devided.

पक्ष में 15 : विपक्ष में 95

Ayes 15 : Noes 95

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 संशोधित रूप से विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3, *as amended was added to the Bill.*

खण्ड 4

Clause 4

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपने संशोधन संख्या 3 से 11 और 38 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपने संशोधन संख्या 20, 22 और 24 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन संख्या 41 से 44 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं अपने संशोधन संख्या 57 से 60 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० सिद्दय्या (चामराज नगर) : मैं संशोधन संख्या 81, 82 और 83 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री हरि किशोर सिंह (पुरी) : मैं संशोधन संख्या 96 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि पृष्ठ 6, पंक्ति 23 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

" *Explanation.*—For the purpose of this sub-section and sub-section (10),—

(*i*) group housing means a building constructed or to be constructed with one or more floors, each floor consisting of one or more dwelling units and having common service facilities".

"**स्पष्टीकरण**—इस उपधारा और उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए—

(1) 'सामूहिक आवासन' से अभिप्रेत है एक या अधिक मंजिलों वाला सन्निर्मितया सन्निर्मित किया जाने वाला कोई भवन जिसमें प्रत्येक मंजिल में शामिलातीं सेवा-सुविधाओं वाले एक या अधिक निवासी एकक हों।" (106)

"पृष्ठ 6, पंक्ति 34—" Transfer" (अन्तरण) के बाद by way of sale, mortage, gift, lease or otherwise ".

(विक्रय, बन्धक, दान या पटटे द्वारा या अन्यथा) अन्त:स्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 7, पंक्ति 6 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये । (107)

पृष्ठ 7, पंक्ति 6 से 8 के स्थान पर,—

" by way of sale of such property, being vacant iand, made by any person under a registered deed for valuable consideration in accordance with the provisions of such law or in pursuance of any sanction or permission granted under such law, shall be deemed to be a *bona-fide* sale";

"कोई हो, सम्पत्ति का अन्तरण किया जाएगा तो इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सम्पत्ति का जो रिक्त भूमि है किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय के रूप में किया गया ऐसा अन्तरण जो ऐसी विधि के उपबन्धों के अनुसार या ऐसी विधि के अधीन अनुदत्त किसी मंजूरी या अनुज्ञा के अनुसरण में मूल्यवान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया गया है, सद्भावी विक्रय समझा जाएगा।" प्रतिस्थापित किया जाये। (108);

पृष्ठ 7, पंक्ति 9 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये,

" (5) Where any firm or unincorporated association or body of individuals hold. vacant land or holds any other land on which there is a building with dwelling unit therein or holds both vacant land and such other land, then, the right or interest of any person in the vacant land or such other land or both, as the case may be, on the basis of his share in such firm or association or body shall also be taken into account in calculating the extent of vacant land hold by such person ";

"(5) जहां कोई फ़र्म या व्यक्तियों का अनिगमित संगम या निकाय कोई रिक्त भूमि धारण करता है या ऐसी कोई भूमि धारण करता है जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवासी एकक है या रिक्त भूमि और ऐसी अन्य भूमि, दोनों, धारण करता है, वहां, यथास्थिति, रिक्त भूमि या ऐसी अन्य भूमि या दोनों में ऐसी फ़र्म या संगम या निकाय में उस व्यक्ति के अंश के आधार पर ऐसी भूमि में उस व्यक्ति का अधिकार या हित ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार को परिकल्पित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।"; (109)

पृष्ठ 6, पंक्ति 14 के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये।

" Provided that not more than one dwelling unit in the group housing shall be owned by one single person ".

(परन्तु, किसी एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक आवासन में एक से अधिक निवासी एकक अपने स्वामित्व में नहीं रखा जायेगा) (123)

पृष्ठ 6, पंक्ति 15, "provided that" (परन्तु") के स्थान पर "Provided further (परन्तु और) प्रतिस्थापित किया जाये।) (124)

पृष्ठ 6, पंक्ति 19 और 20—

" Units of accommodation " (आवासी एककों) के स्थान पर dwelling units " (निवासी एककों) प्रतिस्थापित किया जाये। (125);

पृष्ठ 6, पंक्ति 28 और 29, निम्नलिखित का लोप किया जाये,

Provided that not more than one such unit shall be owned by one single person ".

(परन्तु एक से अधिक ऐसा एकक किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होगा; (126)

पृष्ठ 6, पंक्ति 38—

"shall be taken into account as being held by him ". (उसके द्वारा धारित भूमि के रूप में हिसाब में लिया जायेगा) के स्थान पर

" shall be taken into account, without prejudice to the rights or interests of the transferee n the land so transferred :

Provided that the excess vacant land to be surrendered by such person under this Chapter shall be selected only out of the vacant land held by him after such transfer.

(ऐसी भूमि में अन्तरिती के अधिकार या हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हिसाब में लिया जायेगा,

परन्तु इस अध्याय के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पित किया जाने वाला रिक्त भूमि का अधिकार ऐसे अन्तरण के पश्चात उसके द्वारा धारित रिक्त भूमि में से ही चुना जायेगा) प्रतिस्थापित किया जाये । (127)

पृष्ठ 7, पंक्ति 31 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

(9) Where a person holds vacant land and also holds any other land on which thers is a building with a dwelling unit therein, the extent of such other land occupied by the building and the land appurtenant thereto shall also be taken into account in calculating the extent of vacant land held by such person.

(10) Where a person owns a part of a building, being a group housing, the proportionate share of such, person in the land occupied by the building and the land appurtenent thereto shall also be taken into account in calculating the extent of vacant and held by such person.

Explanation —For the purposes of this section and section 6, 8 and 18 a person shall be deemed to hold any land on which there is a building (whether or not with a dwelling unit therein if he—

(*i*) owns sucn land and the building, or

(*ii*) owns such land but possesses the building or possesses such land and the building, the possession, either case, being as a tenant under a lease, the unexprienced period of whichis not less than ten year at the commencement of this act or as a mort gagee or under anirrevocable powers ofattorney a hire-purchase agreement or partyin ine of the said capacities and partly in any other of the said capacity or capacities".

'(9) जहां कोई व्यक्ति कोई रिक्त भूमिधारण करता है और ऐसी कोई अन्य भूमि भी धारण करता है जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवासी एक है वहां भवन द्वारा अधिमुक्त ऐसी अन्य भूमि और उससे अनलग्न भूमि का विस्तार भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार को परिकलित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

(10) जहां कोई व्यक्ति किसी भवन में किसी भाग का स्वामी है जो भवन सामूहिक आवसिन है, वहां ऐसे भवन द्वारा अधिमुक्त भूमि और उसके अनुलग्न भूमि में एसे व्यक्ति का आनुपातिक अंश भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार को परिकलित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 6, 8 और 18 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि कोई व्यक्ति ऐसी भूमि धारण करता है जिस पर कोई भवन है (चाहे उसमें निवासी एकक हो या नहीं) यदि वह,--

(1) ऐसी भूमि का स्वामी है; या

(2) ऐसी भूमि या भवन सहित ऐसी भूमि का किसी पटटे की अपर्यवसित अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर दस वर्ष से कम नहीं है या बन्धकार के रूप में या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन या भागतः उक्त हैसियतों में से एक में और भागतः उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य में कब्जा रखता है ।'' । (136)

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : मैं अपने संशोधन संख्या 150 और 152 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Ramavatar Shastri (**Patna** : The land has been devided into four categories for the purpose of ceiling under this legislation. But the buildings have been excluded from the purview of this legislation. Even then provisions of payment of compensation is there. This is not proper. The ceiling fixed in respect of vacant land in the Bill is high. Besides the owners have also been entitled to get compensation for their lands. The ceiling should be reduced further.

All towns with a population of one lakh should also be brought within the purview of this Bill.

श्री इराज्मुद सेकैरा : यह बात स्पष्ट है कि इस संशोधन का कोई ध्येय नहीं है । इसका उद्देश्य केवल भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण का स्वरूप ही बदलना है । इससे भूमि ही नहीं बल्कि भवनों की भी कुछ सीमा तक अधिकतम सीमा निर्धारित की जाती है । अतः इन्हें 18 मार्च को जनमत प्राप्त कर नई सरकार बनानी चाहिए ।

(तत्पश्चात् श्री राज्मुद सेकैरा सभा से बाहर चले गये)
(Shri Erasmo de Sequeira then left the House)

श्री भोगेन्द्र झा (जयनगर) : इस नये संशोधन के बहाने मन्त्री महोदय उन लोगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहे हैं जो सरकार को धोखा दे रहे हैं । उन्होंने एक संशोधन पेश किया है जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने अपनी भूमि कई अन्य बेनामी व्यक्तियों को दे दी हो और यदि वह भूमि निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाये तो उसे निर्धारित सीमा से अधिक भूमि समझा जायेगा । यह अत्यधिक गम्भीर मामला है । इससे विधेयक का उद्देश्य ही नष्ट हो जायेगा ।

मैंने अपने संशोधन संख्या 38 में कहा है कि भूमि के पांच वर्ग होने चाहिए; क्योंकि सरकार ने चार वर्ग बनाये हैं । मेरा सुझाव है कि देश भर में सभी ज़िला मुख्यालयों को और नगरों को इस पांचवें वर्ग में रखा जाये तथा भूमि की अधिकतम सीमा 1200 वर्गमीटर निर्धारित की जानी चाहिए ।

सर्वप्रथम यह विधेयक समूचे देश में तुरन्त लागू किया जाना चाहिए। पांच से सात लाख तक जनसंख्या वाले नगरों और शहरों पर यह विधेयक लागू नहीं किया गया है। वहां के लोग इससे बहुत निराश होंगे। मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

Shri M. C. Daga (Pali) : The ceiling for vacant land is not uniform. This should be uniform for all categories of towns and cities.

If Government intend to provide every person with a house. It should be in uniforms manner. I cannot understand the logic for different limit of lands for different cities and towns in the country. This land ceiling should not be more than 350 metres. Urban land should not be divided into four categories as the Government intend. It will give protection to big persons.

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री के० रघुरामैया : प्रश्न किया गया है कि यह सीमा एक समान निर्धारित की जानी चाहिए जो समूचे देश में 300 मीटर होनी चाहिए। लेकिन इस सम्बन्ध में मतवैभिन्नय व्यक्त किया गया है।

सभापति महोदय : अब मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 150 और 152, जो सरकारी संशोधनों के संशोधन हैं, सभा के मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 150 और 152 सभा के मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

The amendments Nos. 150 and 152 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि पृष्ठ 6, पंक्ति 23 से 27 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

" *Explanation* :— For the purpose of this sub-section and sub-section (10),—

(*i*) " group housing" means a building constructed or to be constructed with one or more oors, each floor consisting of one or more dwelling units and having comm on service facilities;"

["स्पष्टीकरण—इस उपधारा और उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "सामूहिक आवासन" से अभिप्रेत है एक या अधिक मंजिलों वाला सन्निर्मित या सन्निर्मित किया जाने वाला कोई भवन जिसमें प्रत्येक मंजिल में शामिलाती सेवा-प्रसुविधाओं वाले एक या अधिक निवासी एकक हों;"]

पृष्ठ 6, पंक्ति 34—"transfer" (अन्तरण) के **बाद**

" by way of sale, mortgage, gift, lease or otherwise."

(विक्रय, बन्धक, दान या पट्टे द्वारा या अन्यथा) अन्तःस्थापित किया जाये। (107);

पृष्ठ 7, पंक्ति 6 से 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"by way of sale of such property, being vacant land, made by any person under a registered deed for valuable consideration in accordance with the provisions of such law or in pursuance of any sanction or permission granted under such law, shall be deemed to be a *bona fide* sale" ;

"कोई हो, सम्पत्ति का अन्तरण किया जाएगा तो इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसी सम्पत्ति का जो रिक्त भूमि है किसी व्यक्ति द्वारा विक्रय के रूप में किया गया ऐसा अन्तरण जो ऐसी विधि के उपबन्धों के अनुसार या ऐसी विधि के अधीन अनुदत्त किसी मंजूरी या अनुज्ञा के अनुसरण में मूल्यकवान प्रतिफल के लिए रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा किया गया है, सदभावी विक्रय समझा जाएगा। (108);

पृष्ठ 7, पंक्ति 9 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये--

"(5) Where any firm or unincorporated association or body of individuals holds account land or holds any other land on which there is a building with a dwelling unit therein or holds both vacant land and such other land, then, the right or interest of any person in the vacant land or such other land or both, as the case may be on the basis of his share in such firm or association or body shall also be taken into account in calculating the extent of vacant land held by such person";

[(5) जहां कोई फ़र्म या व्यष्टियों का अनिगमित संगम या निकाय कोई रिक्त भूमि धारण करता है या ऐसी कोई भूमि धारण करता है जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवासी एकक है या रिक्त भूमि और ऐसी अन्य भूमि, दोनों धारण करता है, वहां यथास्थिति, रिक्त भूमि या ऐसी अन्य भूमि या दोनों में ऐसी फ़र्म या संगम या निकाय में उस व्यक्ति के अंश के आधार पर ऐसी भूमि में उस व्यक्ति का अधिकार या हित ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि विस्तार को परिकलित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा।] (109)"

पृष्ठ 6, पंक्ति 14 के बाद निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाये---..

"Provided that not more than one dwelling unit in the group housing shall be owned by one single person."

(परन्तु किसी एक व्यक्ति द्वारा सामूहिक आवासन में एक से अधिक निवासी एकक अपने स्वामित्व में नहीं रखा जायेगा) (123);

पृष्ठ 6, पंक्ति 15--

"Provided that" (परन्तु) के स्थान पर "Provided further that" (परन्तु और) प्रतिस्थापित किया जाये ।

पृष्ठ 6 पंक्ति 19 और 20 ---

" Units of accommodation" (आवासी एककों) के स्थान पर "dwelling units" (निवासी एककों) प्रतिस्थापित किया जाये । (125)"

पृष्ठ 6, पंक्ति 28 और 29-- "

निम्नलिखित का लोप किया जाये---

"Provided that not more than one such unit shall be owned by one single pers

(परन्तु एक से अधिक ऐसा एकक किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होगा) (12

पृष्ठ 6, पंक्ति 38--

"shall be taken into account as being held by him".

(उसके द्वारा धारित भूमि के रूप में हिसाब में लिया जायेगा) के स्थान पर

"shall be taken into account, without prejudice to the rights or interests of the transferee in land so transferred:

Provided that the excess vacant land to be surrendered by such person under this Chapter shall be selected only out of the vacant land held by him after such transfer."

(ऐसी भूमि में अन्तरिती के अधिकार या हित पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हिसाब में लिया जायेगा :

परन्तु इस अध्याय के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा अभ्यर्पित किया जाने वाला रिक्त भूमि का आधिक्य ऐसे अन्तरण के पश्चात उसके द्वारा धारित रिक्त भूमि में से ही चुना जायेगा) प्रतिस्थापित किया जाये । (127)

पृष्ठ 7, पंक्ति 31 के बाद निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये--

"(9) Where a person holds vacant land and also holds any other land on which there is a building with a dwelling unit therein, the extent of such other land occupied by the building and the land appurtenant thereto shall also be taken into account in calculating the extent of vacant land held by such person.

(10) Where a person owns a part of a building, being a group housing, the proportionate share of such person in the land occupied by the building and the land appurtenant thereto shall also be taken into account in calculating the extent of vacant land held by such person.

Explanation.—For the purposes of this section and sections 6, 8 and 18, a person shall be deemed to hold any land on which there is a building (whether or not with a dwelling unit therein) if he—

(*i*) owns such land; or

(*ii*) possesses such land or such land with the building, in eithr case, as a tenant under a lease the unexpired period of which is not less than ten years at the commencement of this Act or as a mortgagee or under an irrevocable power of attorney or a hire-purchase agreement or partly in one of the said capacities and partly in any other of the said capacity or capacities.".

[(9) जहां कोई व्यक्ति कोई रिक्त भूमि धारण करता है और ऐसी कोई अन्य भूमि भी धारण करता है जिस पर कोई ऐसा भवन है जिसमें निवासी एकक है वहां भवन द्वारा अधिमुक्त ऐसी अन्य भूमि और उससे अनुलग्न भूमि का विस्तार भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार को परिकलित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।

(10) जहां कोई व्यक्ति किसी भवन में किसी भाग का स्वामी है जो भवन सामूहिक आवासन है, वहां ऐसे भवन द्वारा अधिमुक्त भूमि और उससे अनुलग्न भूमि में ऐसे व्यक्ति का आनुपातिक अंश भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार को परिकलित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा ।]

स्पष्टीकरण––इस धारा और धारा 6, 8 और 18 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि कोई व्यक्ति ऐसी भूमि धारण करता है जिस पर कोई भवन है (चाहे उसमें निवासी एकक हो या नहीं) यदि वह,––

(i) ऐसी भूमि का स्वामी है ; या

(ii) ऐसी भूमि या भवन सहित ऐसी भूमि का किसी पट्टे की अपर्यवसित अवधि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर दस वर्ष से कम नहीं है या बन्धकदार के रूप में या अप्रतिसंहरणीय मुख्तारनामे के अधीन या अवक्रय करार के अधीन या भागतः उक्त हैसियतों में से एक में और भागतः उक्त हैसियत या हैसियतो में से किसी अन्य में कब्जा रखता है ।) (136)।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted,

सभापति महोदय : मेरे पास और भी संशोधन हैं । क्या मैं उन्हें एक साथ पेश करूं ?

श्री भोगेन्द्र झा : संशोधन संख्या 38 अलग से पेश किया जाये ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 38 सभा में मतदान के लिए रखा गया ।

लोक सभा में मतविभाजन हुआ ।

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 15, विपक्ष में 77

Ayes 15; Noes 77.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय: अब मैं अन्य सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 से 11, 20, 22, 24, 41 से 44, 57 से 60, 81 से 83 और 96 सभा में मतदान के लिए पेश किये गये और अस्वीकृत हुए ।

The amendments No. 3 to 11, 20, 22, 24, 41 to 44, 57 to 60, 81 to 83 and 96 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 5

Clause 5

संशोधन किया गया

पृष्ठ 7, पंक्ति 36--

"or otherwise" (या अन्यथा) के बाद "the retent of the land so transferred shall also be taken into account in calculating the extent of vacant l and held by such person and".

(वहां इस प्रकार अन्तरित भूमि के विस्तार को भी ऐसे व्यक्ति द्वारा धारित रिक्त भूमि के विस्तार को परकलित करने के लिए हिसाब में लिया जायेगा और

(111) (श्री के० रघुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 5, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 5, as amended was added to the Bill.

खण्ड 6

Clause 6

श्री रामावतार शास्त्री : मैं संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूं :

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ट 9 पंक्ति 2— incapacitated" (असमर्थ) के बाद

"and where both the husband and the wife are absent from India or are mentally incapacitated from attending to their affairs, by any other person competent to act on behalf of the husband or wife or both;"

(और जहां पति और पत्नी दोनों भारत से अनुपस्थित हैं या अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ हैं वहां पति या पत्नी या दोनों) अन्तः स्थापित किया जाये (128),

पृष्ठ 8, पंक्ति 19 के बाद निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये :—

"provided that in relation to any State to which this Act applies in the first instance, the provisions of this sub-sections shall have effect as if for the words 'Every person

holding vacant land in excess of the ceiling limit at the commencement of this Act' the words, figures, and letters, 'Every person who held vacant land in excess of the ceiling limit on or after the 17th day of February, 1975 and before the commencement of this Act and every person holding vacant land in excess of the ceiling limit at such commencment' had been substituted;"

("परन्तु किसी ऐसे राज्य के सम्बन्ध में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, इस उपधारा के उपबन्धों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो 'प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करता है' शब्दों के स्थान पर 'प्रत्येक व्यक्ति जिसने 17 फ़रवरी, 1975 को या उसके पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले आधिक्य में रिक्त भूमि धारण की है और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा के अधिक्य में रिक्त भूमि धारण करता है' "शब्द और अंक रखे जाएंगे।") (137)

(पृष्ठ 8, पंक्ति 28 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखें,--

"(2) If the competent authority is of opinion that—

(a) in any State to which this Act applies in the first instanc any person held on or after the 17th day of February, 1975 and before the commencement of this Act or holds at such commencement; or

(b) in any State which adopts this Act under clause (1) of article 252 of the Constitution, any person holds at the commencement of this Act,

vacant land in excess of the ceiling limit, then, notwithstanding anything contained in"

"((2) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि,—

(क) किसी राज्य में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, किसी व्यक्ति ने 17 फ़रवरी, 1975 को या उसके पश्चात् किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारणा की है या ऐसे प्रारम्भ पर धारण करता है; या

(ख) किसी राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करता है, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करता है") (138)

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपना संशोधन संख्या 153 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 25 और 153 मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

Amendments Nos. 25 and 153 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ 9, पंक्ति 2, के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

after "incapacitated" *insert*—

"and where both the husband and the wife are absent from India or are mentally incapacitated from attending to their affairs, by any other person competent to act on behalf of the husband or wife or both;"

(असमर्थ के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें :

"और जहां पति और पत्नी दोनों भारत से अनुपस्थित हैं या अपने कार्यों की देखभाल करने में मानसिक रूप से असमर्थ हैं वहां पति या पत्नी या दोनों ।") (128)

पृष्ठ 8 पंक्ति 19 के पश्चात निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें —

"Provided that in relation to any State to which this Act applies in the first instance, the provisions of this sub-section shall have effect as if for the words 'Every person holding vacant land in excess of the ceiling limit at the commencement of this Act, the words, figures and letters, 'Every person who held vacant land in excess of the ceiling limit on or after the 17th day of February, 1975 and before the commencement of this Act and every person holding vacant land in excess of the ceiling limit at such commencement' had been substituted;"

"परन्तु किसी ऐसे राज्य के सम्बन्ध में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, इस उपधारा के उपबन्धों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानों 'प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करता है' शब्दों के स्थान पर 'प्रत्येक व्यक्ति जिसने 17 फ़रवरी, 1975 को या उसके पश्चात किन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पहले अधिकतम सीमा के आधिक्य में रिक्त भूमि धारण की है और प्रत्येक व्यक्ति जो ऐसे प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा के आधिक्य में रिक्त भूमि धारण करता है' शब्द और अंक रखे जायेंगे") (137)

पृष्ठ 8, पंक्ति 28 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित रखें :—

"(2) If the competent authority is of opinion that—

(a) in any State to which this Act applies in the first instance, any person held on or after the 17th day of February, 1975 and before the commencement of this Act or holds at such commencement; or

(b) in any State which adopts this Act under clause (1) of article 252 of the Constitution, any person holds at the commencement of this Act,

vacant land in excess of the ceiling limit, then notwithstanding anything contained in"

"(2) यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि,—

(क) किसी राज्य में जिसको यह अधिनियम पहली बार में लागू होता है, किसी व्यक्ति ने 17 फ़रवरी, 1975 को या उसके पश्चात किन्तु इस अधिनियम

प्रारम्भ के ठीक पहले अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण की है या ऐसे प्रारम्भ पर धारण करता है; या

(ख) किसी राज्य में जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अधीन इस अधिनियम को अंगीकार करता है, कोई व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारम्भ पर अधिकतम सीमा से अधिक रिक्त भूमि धारण करता है" (138)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 6, as amended was added to the Bill.

खण्ड 7

संशोधन किया गया

पृष्ठ 9,—

(*i*) in line 18, *for* "where a person"
substitute "(1) Where a person";

(*ii*) *after* line 26, *insert*

"(2) Where the extent of vacant land held by any person and situated within the jurisdiction of two or more competent authorities within the same State to which this Act applies is equal, he shall file his statement under sub-section (1) of section 6 before any one of the competent authorities and send intimation thereof, in such form as may be prescribed to the State Government and thereupon the State Government shall, by order, determine the competent authority before which all subsequent proceedings under this Act shall be taken to the exclusion of the other competent authority or authorities and communicate that order to such person and the competent authorities concerned.

(3) Where the extent of vacant land held by any person and situated within the jurisdiction of two or more competent authorities in two or more States to which this act applies is equal, he shall file his statement under sub-section (1) of section 6 before any one of the competent authorities and send intimation thereof in such form as may be prescribed to the Central Government and thereupon the Central Government shall, by order, determine the competent authority before which all subsequent proceedings shall be taken to the exclusion of the other competent authority or authorities and communicate that order to such person, the State Governments and the competent authorities concerned."

(पंक्ति 18 "जहां किसी व्यक्ति" के स्थान पर "(1) जहां किसी व्यक्ति" रखें ;

पंक्ति 26 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें —

"(2) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित और उसी राज्य के भीतर जिसको यह अधिनियम लागू होता है, दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता के भीतर स्थित रिक्त भूमि का विस्तार बराबर है वहां वह धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अपनी विवरणी ऐसे सक्षम प्राधिकारियों में से किसी एक के सक्षम फ़ाइल करेगा और उसकी प्रज्ञापना राज्य सरकार को ऐसे प्ररूप में भेजेगा जैसा विहित किया जाए और तब राज्य सरकार, आदेश द्वारा, वह सक्षम प्राधिकारी अवधारित करेगी जिसके सक्षम इस अधिनियम के अधीन सभी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां, अन्य सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों का अपवर्जन करते हुये, कि जाएगी और वह आदेश ऐसे व्यक्ति को और सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारियों को संसूचित करेगी ।

(3) जहां किसी व्यक्ति द्वारा धारित और दो या अधिक राज्यों में जिनको यह अधिनियम लागू होता है, दो या अधिक सक्षम प्राधिकारियों की अधिकारिता के भीतर स्थित भूमि का विस्तार बराबर है, वहां वह धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अपनी विवरणी ऐसे किसी एक सक्षम प्राधिकारी के सक्षम फ़ाइल करेगा और उसकी प्रज्ञापना केन्द्रीय सरकार को ऐसे प्ररूप में भेजेगा जैसा विहित किया जाए और तब केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, वह सक्षम प्राधिकारी अवधारित करेगी जिसके सक्षम सभी पश्चातवर्ती कार्यवाहियां अन्य सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों का उपवर्जन करते हुये कि जाएंगी और वह आदेश ऐसे व्यक्ति को, सम्बद्ध राज्य सरकारों और सक्षम प्राधिकारियो को संसूचित करेगी ।")

(114)

(श्री के० रघुरमैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 7, as amended was added to the Bill.

खण्ड 8

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 26 पेश करता हूं ।

सभापति द्वारा संशोधन संख्या 26 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 26 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8 was added to the Bill.

खण्ड 9

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 9 was added to the Bill.

खण्ड 10

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 27 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

Amendment No. 27 was put and negatived.

संशोधन किया गया

पृष्ठ 11, पंक्ति 13 से 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"*Explanation*—In this section, in sub-section (1) of section 11 and in sections 14 and 23, "State Government", in relation to—

(a) any vacant land owned by the Central Government means the Central Government;

(b) any vacant land owned by any State Government and situated in a Union territory or within the local limits of a cantonment declared as such under section 3 of the Cantonment Act, 19 means that State Government."

(स्पष्टीकरण :—इस धारा में, धारा 11 की उपधारा (1) में और धारा 14 और 23 में "राज्य सरकार" से—

(क) केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन किसी रिक्त भूमि के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है ;

(ख) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और संघ राज्य क्षेत्र में स्थित अथवा
1924 का 2 छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 3 के अधीन छावनी का इस रूप में घोषित किसी छावनी को स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित रिक्त भूमि के सम्बन्ध में, राज्य सरकार अभिप्रेत है ।") (129)

(श्री के० रघुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
Motion was adopted.

खण्ड 10, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 10, *as amended, was added to the Bill*

खण्ड 11

संशोधन किया गया

पृष्ठ 12, पंक्ति 11

"by any State Government"

(किसी राज्य सरकार) का लोप किया जाए" (130),

पृष्ठ 12, पंक्ति 40

"by the State Government"

(किसी राज्य सरकार द्वारा का लोप किया जाए)" (131)

(श्री के० रघुरामैया)

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 28 पेश करता हूं ।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 28 मतदान के लिए रखा गया ।
Amendment No. 28 *was put.*

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में—10 : विपक्ष में—80

Ayes—10 : Noes—80

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।
The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 11 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 11, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 12

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 46 पेश करता हूं ।

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"or where the extent of such land situated within the jurisdiction of two or more Tribunals is equal to any of these Tribunals."
(132)

"(वहां जहां दो या अधिक अधिकरणों की अधिकारिता के भीतर स्थित ऐसी भूमि का विस्तार बराबर है वहां उन अधिकरणों में से किसी अधिकरण से अपील कर सकेगा ।)" (132)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13 के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये

"or where the extent of such land situated within the jurisdiction of two or more Tribunals is equal to any of these Tribunals" (132)

"(यहां जहां दो या अधिक अधिकरणों की अधिकारिता के भीतर स्थित ऐसी भूमि का विस्तार बराबर है वहां उन अधिकरणों में से किसी अधिकरण से अपील कर सकेगा ।") (132)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The mtion was adopted.

सभापति महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 46 मतदान के लिये रखता हूं :

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 46 मतदान के लिए रखा गया ।
Amendment No. 46 was put to vote of the house.

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ ।
The Lok Sabha divided.

पक्ष में : 10 विपक्ष में : 86

Ayes 10 Noes 86

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 12 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 12, as amended, added to the Bill.

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 14

सभापति महोदय : श्री डागा और श्री सेकैरा अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 14 was added to the Bill.

खण्ड 15 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 15—18 were added to the Bill.

खण्ड 19

संशोधन किया गया

पृष्ठ 16, पंक्ति 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :

"or partly in one of the said Capacities and partly in any other of the said Capacity or Capacities."

("या भागत: उक्त हैसियतों में से एक में और भागत: उक्त हैसियत या हैसियतों में से किसी अन्य में कब्जा रखना") (संख्या 133)

(श्री के० रघुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted—

खण्ड 19 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 19, as amended was added to the Bill.

खण्ड 20

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 20 was added to the Bill.

खण्ड 21 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 21 was added to the Bill.

खण्ड 22

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted—

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 22 was added to the Bill.

खण्ड 23

संशोधन किया गया

पृष्ठ 18, पंक्ति 18 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(5) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) to (4), where the State Government is satisfied that it is necessary to retain or reserve any vacant land, deemed to have been acquired by that Government under this Act, for the benefit of the public, it shall be competent for the State Government to retain or reserve such land for the same.

पृष्ठ 14, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित करें :—

(5) उपधारा (1) से (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन सरकार

द्वारा अर्जित समझी गई किसी रिक्त भूमि को प्रतिधारित या आरक्षित करना समाज के फ़ायदे के लिए आवश्यक है वहां राज्य सरकार ऐसी भूमि को ऐसे फ़ायदे के लिए प्रतिधारित या आरक्षित करने के लिए सक्षम होगी।") (185)

पृष्ठ 17, पंक्ति 40,--

"Its employees" अपने कर्मचारियों के स्थान पर "The Employes of any Industry"

(किसी उप उद्योग के कर्मचारियों भी) प्रतिस्थापित किया जाये। (141)

(श्री के० रघुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने'।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 23 was added to the Bill.

खण्ड 24 तथा 25 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 24 and 25 were added to the Bill

खण्ड 26

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 19, पंक्ति 25 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :

"(3) For the purpose of calculating the price of any vacant land under sub-section (2) shall be deemed that a notification under sub-section (1) of section 4 of the Land
1 of 1894 Acquisition Act, 1894 or under the relevant provision of any other corresponding law for the time being in force, had been issued for the acquisition of such vacant land on the date on which the notice was given under sub-section (1) of this section."

["(3) उपधारा (2) के अधीन किसी रिक्त भूमि की कीमत परिकल्पित करने
1894 का 1 के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समयमान विधि के सुसंगत उपबन्ध के अधीन अधिसूचना ऐसी रिक्त भूमि के अर्जन के लिए उस तारीख को जारी की गई थी जिसको इस धारा की उपधारा (1) के अधीन सूचना दी गई थी।" (116)

पृष्ठ 19, पंक्ति 10,--

"entitled to hold vacant land under this Act" "इस अधिनियम के अन्तर्गत रिक्त भूमि धारण करने का हकदार है" के स्थान पर "holding vacant land within the ceiling limit" "कोई व्यक्ति जो अधिकतम सीमा के भीतर रिक्त भूमि धारण करता है" (134)

(श्री के० रघुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 26 was added to the Bill.

खण्ड 27

संशोधन किए गए

पृष्ठ 19, पंक्ति 27 से 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रति:स्थापित किया जाये :

"being inforce, no person shall transfer by way of sale mortgage, gift, lease for a period exceeding ten years, or otherwise. any urban or unbanishable land with a building (whether constructed before or after the commencement of this Act) or a portion only of such building for a period of ten years of such"

"किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति भवन सहित या ऐसे भवन के किसी भाग सहित (चाहे इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व नियमित हो या बाद में) किसी नगर भूमि या किसी नगर योग्य भूमि का विक्रय, बंधक, दान या 10 वर्ष से अधिक की अवधि के लिये पट्टे द्वारा अन्याअन्तरण ऐसे प्रारम्भ या उस भवन के सन्निर्माण की तारीख से, इनमें से जो भी बाद की हो, 10 वर्ष की अवधि तक," (142)

पृष्ठ 19, पंक्ति 32,

"Transfer any land" (किसी भूमि का अन्तरण) के स्थान पर "Make a transfer" (कोई अन्तरण प्रतिस्थापित किया जाये) (143)

पृष्ठ 20, पंक्ति 1,—

"The transfer of the land" (भूमि के विक्रय के रूप में अन्तरण) के स्थान पर "the transfer of the land with the building or, as the case may be a portion only of such building" यथास्थिति, भवन सहित या भवन के किसी भाग सहित भूमि विक्रय के रूप में अन्तरण" प्रतिस्थापित किया जाये। (144)

पृष्ठ 20, पंक्ति 4,—

"Such land," (ऐसी भूमि) के स्थान पर "Such land or portion only of such building" (भवन सहित या ऐसे भवन के किसी भाग सहित ऐसी भूमि" प्रति:स्थापित किया जाये । (145)

पृष्ठ 20, पंक्ति 11—

"Such land" (ऐसी भूमि) के स्थान पर भवन सहित या "such land or portion only of such building," "भवन सहित या ऐसे भवन के किसी भाग सहित ऐसी भूमि" प्रतिस्थापित किया जाये । (146)

पृष्ठ 20, पंक्ति 15—

"Such land" (ऐसी भूमि) के स्थान पर "Such land with building or portion of only of such building" (भवन सहित या ऐसे भवन के किसी भाग सहित ऐसी भूमि) प्रतिस्थापित किया जाये । (147)

पृष्ठ 20, पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित करें —

"(6) For the purpose of calculting the price of the land and building or as the case may be, a portion only of such building under clause (a) of sub-section (5), it shall be deemed that a notification under sub-section (1) of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 or under the relevant provision of any other corresponding law for the time being in force, had been issued for the acquisition of that land and building or, as the case may be, a portion only of such building on the date on which the application was made under sub-section (2)."

"(6) उपधारा (5) के खण्ड (क) के अधीन भूमि की कीमत परिकलित करने के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि के सुसंगत उपबन्ध के अधीन अधिसूचना ऐसी रिक्त भूमि के अर्जन के लिए उस तारीख को जारी की गई थी जिसको उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया गया था ।" (148)

(श्री के० रवुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 27 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(Clause 27, as amended, was added to the Bill.)

खण्ड 28

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 20, पंक्ति 22

"land" (भूमि) के बाद "or any building (including any portion thereof)" (इसके किसी भाग सहित) रख दिया जाये ।

(संख्या 149)

(श्री के० रवुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"खंड 28, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 28, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

(Clause 28, as amended, was added to the Bill).

खण्ड 29, 30 तथा 31 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

(Clauses 29, 30 and 31 were added to the Bill).

सभापति महोदय : एक नया खण्ड 31क है ।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 22, पंक्ति 14 के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"विशेष मामलों में सक्षम प्राधिकारियों और अधिकरणों की अधिकारिता

31क. जहां धारा 7 की उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन, यथास्थिति, राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार सक्षम प्राधिकारी अवधारित करती है या जहां इस कारणवश कि दो या अधिक अधिकरणों की अधिकारता के भीतर स्थित रिक्त भूमि का विस्तार बराबर है, वहां धारा 12 की उपधारा (4) के अधीन अधिकरणों में से किसी एक से अपील की गई है तो, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी रिक्त भूमि का कोई भाग जिससे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियां या अधिकरण के समक्ष अपील लम्बित है, उसकी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर स्थित नहीं है, यथास्थिति, ऐसा सक्षम प्राधिकारी या अधिकरण उन सब शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा जिनका इस अधिनियम के अधीन रिक्त भूमि के ऐसे भाग पर अधिकारिता रखने वाला, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या अधिकरण ऐसी कार्यवाही या अपील के सम्बन्ध में करता है ।"

"Jurisdiction of competent authorities and Tribunals in special cases.

31A. Where under sub-section (2) or sub-section (3) of section 7, the State Government or the Central Government, as the case may be, determines the competent authority or where, for the reason that the extent of the vacant land situated within the jurisdiction of two or more Tribunals is equal, an appeal has been preferred to any one of the Tribunals under sub-section (4) of section 12, then, such competent authority or Tribunal, as the case may be, shall, not withstanding that any portion of the vacant land to which the proceedings before the competent authority or the appeal before the Tribunal relates, is not situated within the areas of its jurisdiction, exercise all the powers and functions of the competent authority or Tribunals, as the case may be, having jurisdiction over such portion of the vacant land under this Act in relation to such proceedings or appeal.") (135)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नया खंड 31क विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(The motion was adopted.)

नया खंड 31क विधेयक में जोड़ दिया गया।

(New Clause 31A was added to the Bill.)

खण्ड 32 से 44 विधेयक में जोड़ दिये गये।

(Clauses 32 to 44 were added to the Bill.)

खण्ड 45

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 24, पंक्ति 33 (line 33) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"(ख) धारा 7 की उपधारा (2) और (3) के अधीन प्रज्ञापना का प्रारूप

"(b) The form of intimation under sub-sections (2) and (3) of section 7" (118)

पृष्ठ 24 पंक्ति 33 —

"in a statement" (विवरणी में) के स्थान पर "in the statement" (विवरणी में) रख दिया जाये।

(संख्या 119)

पृष्ठ 25, पंक्ति 10 (line 10) के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"(ii) धारा 22 की उपधारा (1) के निर्दिष्ट विवरणी में उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियां"

(संख्या 119)

"(ii) the particulars to be mentined in the statement referred to in sub-section (1) of section 22." (120)

(श्री के० रघुरामैया)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(The motion was adopted.)

खण्ड 45 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

(Clause 45, as amended, was added to the Bill.)

खण्ड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

(Clause 46 was added to the Bill.)

अनुसूची I तथा II विधेयक में जोड़ दी गयी।

(Schedule I and Schedule II was added to the Bill.)

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2, पंक्ति 4 :—

"and any reference" (निर्देश के किसी) **के स्थान पर** "and, save as otherwise provided in this Act., any reference "(निर्देश से इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाये किसी" रखें

(99)

(श्री के० रघुरामैया)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 5:—

"Land (भूमि)" के स्थान पर "Property including building" (सम्पत्ति जिसमें भवन भी है) प्रतिस्थापित किया जाये ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

(The Lok Sabha divided:)

पक्ष में 15 : विपक्ष में 95

Ayes : 15 Noes 95

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

The Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

श्री के० रघुरामैया : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को सशोधित रूप में पारित किया जाये ।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये"

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर (औसग्राम). ये एक ऐसा विधेयक है जिसे शहरी रिक्त भूमि अधिकतम सीमा विधेयक कहा जा सकता है । सरकार द्वारा अर्जित भूमि के वितरण के बारे में विधेयक में कोई उपाय नहीं दिया गया है । मंत्री जी को यह बात स्पष्ट करनी चाहिये कि यह फालतू भूमि किसे दी जायेगी और किस ढंग से दी जायेगी । गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की भूमि पर बड़े-बड़े शहरी भू-स्वामियों का अधिकार है । उस भूमि का क्या होगा और गन्दी बस्तियों में रहने वाले उन लोगों का क्या होगा जिनके पास रहने के लिए कोई अन्य भूमि या मकान नहीं है । पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का क्या होगा जो कि कलकत्ता के अन्दर या उसके चारों ओर विभिन्न कालोनियों में बसे हुए हैं। यह बात भी स्पष्ट की जानी चाहिये कि भूमि के एकाधिकार वाले पूंजीवादी मालिकों तथा मध्य वर्ग के मालिकों को उसी दर पर क्षतिपूर्ति क्यों दी जानी चाहिये । पूंजीपतियों की भूमि छीन ली जानी चाहिये और गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों में वितरित कर दी जानी चाहिये ।

इस विधेयक के पूर्व की तिथि अर्थात् 17 फरवरी, 1975 से पहले से लागू किया जाना चाहिये । मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि क्या महानगरों में धनी लोगों से मकान और बहु-मंजिली इमारतें बनने वाली उपलब्ध सभी प्रकार की भूमि ली जायेगी । बड़े-बड़े भू-स्वामियों तथा पूंजीपतियों को जिनके महानगरों में सैकड़ों मकान हैं, कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये ।

यह विधेयक अधूरा है । शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने वाले एक त्रुटिहीन तथा व्यापक विधेयक पेश करने की आवश्यकता है ।

Shri Ramavtar Shastri : Crores of homeless poor people in the urban areas will be disappointed after this Bill is passed as acreage of land to be released will be very small. Most of the cities have not been covered under this Bill. Therefore, this Bill is a half-hearted measure.

Secondly, exemptions have been allowed in the name of Company, Charitable institutions, trusts etc. and in this way there is no likelihood of much land to be released.

In addition to this religious institutions will also be exempted from the release of thousands of acres of land. You should at least provide land to the landless for the construction of houses, if it is not possible to provide land for agricultural purposes. You should bring forward another comprehensive Bill in the next session, so that sufficient land for distribution among the landless people for house construction could be made available and it would be released for agricultural purposes.

श्री भोगेन्द्र झा : इस विधेयक के अध्याय 1 में दी गई राज्यों की सूची में तमिलनाडु का नाम नहीं है । जहाँ तक इस विधेयक को तमिलनाडु में लागू करने का सम्बन्ध है, वहां क्या स्थिति होगी ?

कहा गया है कि राज्यों को निदेश जारी किया जायेगा जिसके अनुसार एक लाख की आबादी से अधिक आबादी वाले नगरों तथा शहरों को सम्मिलित करने हेतु अधिसूचनायें जारी की जायेंगी । क्या ऐसा किया जायेगा ?

श्री के० रघुरामैया : इस विधेयक को केवल 10 या 11 राज्यों ने स्वीकार किया है । तमिलनाडु में भी यह स्वीकार कर लिया जायेगा ।

जहां तक शरणार्थियों का सम्बन्ध है, उनका प्रश्न भी उठाया गया है । यदि वे सरकारी भूमि पर हैं तो फिर उन्हें छोड़ दिया जायेगा और यदि वे सरकारी भूमि पर नहीं हैं तो राज्य

सरकारों को पूरी शक्तियां प्राप्त हैं । आशा है कि राज्य सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग शरणार्थियों के पक्ष में करेंगी । राज्य सरकारें खंड 23 के अन्तर्गत अपनी इच्छानुसार कार्यवाही कर सकती हैं ।

किसी उद्योग को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गयी है । छूट केवल कुछ वर्गों, बैंकों तथा कुछ अन्य संस्थाओं को दी गई है । जहां तक अन्य उद्योगों का सम्बन्ध है यदि उनके पास कोई फालतू भूमि होगी तो उसे राज्य सरकार अपने हाथ में लेलेंगी। राज्य सरकार को इस बात से संतुष्ट करना उद्योगपतियों का काम है कि वह फालतू भूमि उद्योग के लिए आवश्यक है और फिर राज्य सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या वह भूमि उस उद्योग को देनी आवश्यक है कि नहीं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

तत्पश्चात लोक-सभा बुधवार, 3 फरवरी, 1976/14 माघ, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

[The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday February 3, 1976/ Magha 14, 1897 (Saka).]

GMGIPND—R.S. II—81 L.S.—23-6-76—200.